GOVERNMENT OF INDIA

PLANNING COMMISSION

LIBRARY

Class No. 338.954

Book No. I39F

1PC—5,000—27-3-54—PP(A)

9390

PLANNING COMMISSION

LIBRARY

100

गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया

पहली पंचवर्षीय योजना

संक्षिप्त परिचय

प्लानिंग कमीशन

जनवरी १९५३

पहली पंचवर्षीय योजना

संक्षिप्त परिचय

प्लानिंग कमीशन के लिए
पब्लिकेशन्स डिवीज़न
मिनिस्ट्री आफ़ इन्फार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिङ्ग
ओल्ड सेक्रेटरिएट, दिल्ली-८
द्वारा प्रकाशित

सूची

भूमिका	....	(क)
योजना का उद्देश्य और तरीक़े	....	१
साधनों की खोज-बीन	....	६
पंचवर्षीय योजना का खाका	....	१०
प्रशासन और जनता का सहयोग	....	१५
खेती-बाड़ी के काम, सिंचाई और बिजली	....	२०
घरेलू और छोटे पैमाने के उद्योग	....	३६
अन्य उद्योग-धन्धे, यातायात और डाक-तार की सुविधाएँ		४०
सामाजिक सेवायें और रोज़ी-रोज़गार	....	४७

भूमिका

किसी भी आज़ाद देश की उन्नति के लिए यह ज़रूरी है कि उसके सामने आगे आने वाले दिनों का एक साफ नक्शा हो और उसके सारे साधन और ताकतें उस नक्शे के अनुसार देश की बहुमुखी उन्नति में लग जायें । इसी बात को ध्यान में रख कर मार्च सन् १९५० में भारत सरकार ने योजना कमीशन की स्थापना की । योजना कमीशन को जिन बातों पर विचार करना था, वे इस प्रकार थीं :—

(१) देश में मौजूदा सम्पत्ति और जनता की ताकत का अन्दाज़ा लगा कर देश की ज़रूरतों को देखते हुए सभी प्रकार के साधनों के विकास की सम्भावनाओं पर विचार करना, (२) देश के साधनों का सबसे अधिक प्रभावशाली और नपे-तुले ढंग से उपयोग करने के बारे में योजना बनाना, (३) कौन से काम पहले होने चाहियें और कौन से बाद में, यह पता लगा कर इस बात का निश्चय करना कि किन-किन अवस्थाओं से होकर योजना को आगे बढ़ना चाहिए, (४) देश के आर्थिक विकास में कौन-कौन सी मुश्किलें आती हैं, इसका पता लगाना और किन तरीक़ों से उन बाधाओं को दूर करके योजना को कामयाबी के साथ पूरा किया जा सकता है, इसे बताना, (५) विभिन्न अवस्थाओं में योजना के प्रत्येक अंग को लागू करने के लिए किस प्रकार के संगठन और शासन-यंत्र की जरूरत है, इसे बताना, (६) योजना विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार आगे बढ़ रही है, इसका पता लगा कर नीति और उपायों में ज़रूरत के अनुसार फेर-बदल करना, (७) योजना के अन्तर्गत जिन कामों को करना है, उन्हें किस तरह से आसानी से किया जा सकता है, इसके बारे में समय-समय पर सुझाव देना ।

जुलाई सन् १९५१ में आयोजन कमीशन ने अप्रैल सन् १९५१ से मार्च

सन् १९५६ तक के लिए एक पाँच साल के विकास की योजना के बारे में एक मसौदा पेश किया। इस मसौदे के दो भाग थे—पहले भाग के लिए १४९३ करोड़ रुपये खर्च होने थे और इसके अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों को हर हालत में पूरा करना ज़रूरी माना गया। दूसरे भाग के अन्तर्गत ३०० करोड़ रुपये खर्च होने थे और इसे बाहरी मदद मिलने पर पूरा होना था।

किसी भी योजना का पूरा होना तभी मुमकिन है जबकि उसे जनता का सहयोग मिले। इसीलिए आयोजन कमीशन द्वारा पेश किये गये मसौदे पर जनता, राज्यों की सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा अन्य गैरसरकारी जानकार लोगों की राय मालूम करनी ज़रूरी थी। पिछले अठारह महीनों से आयोजन कमीशन इसी कोशिश में रहा है और इन सब की राय का पता लग जाने पर अब पाँच-साला योजना अपने अन्तिम रूप में देश के सामने मौजूद है।

इस अन्तिम पाँच साल की अथवा पंचवर्षीय योजना को पिछले मसौदे की तरह दो हिस्सों में नहीं बांटा गया है बल्कि अलग-अलग प्रोग्रामों को एक में मिला कर एक ही योजना के नीचे लाया गया है। इस का समय भी वही है जो मसौदे का था और इसके लिए कुल २,०६९ करोड़ रुपयों के खर्च की व्यवस्था है। इसमें मसौदे वाले विकास के सभी प्रोग्रामों के अतिरिक्त कुछ और भी बातें जोड़ी गई हैं ताकि योजना को और अधिक मज़बूत बना दिया जाये और उसे देश की जरूरतों के अनुसार रखा जाय। यथा, खेती और सामूहिक विकास योजना के अन्तर्गत और अधिक प्रोग्राम लाये गये हैं जिससे कि खेती की उपज को उस हद तक पहुंचाया जा सके जो देश के लिये जरूरी है। इसी तरह छोटे और बड़े उद्योगों के विकास के लिये भी और अधिक व्यवस्था की गई है। सामाजिक सेवा की दिशा में भी कई महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम जोड़ दिये गये हैं जैसे कि मलेरिया की रोक-थाम, पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति के कार्य, विस्थापित लोगों को फिर से बसाना आदि।

तीन और भी महत्त्वपूर्ण बातें इस योजना में जोड़ी गई हैं : (१) राज्यों में समय-समय पर मौसम के असर से जो कमी की हालत पैदा हो जाती है

उसका सामना करने का इन्तज़ाम किया गया है। (२) प्रत्येक राज्य की योजना को स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये जिलों और तहसीलों तक ले जाया गया है। (३) योजना की सफलता के लिये उन सब संस्थाओं और व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है जो देश के विकास के लिये रचनात्मक कामों में लगे हुये हैं।

पंचवर्षीय योजना का वर्णन तीन भागों में किया गया है। पहले भाग में यह बताया गया है कि अविकसित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत किस प्रकार विकास किया जाय और कैसे सारे देश की कोशिशों को विकास के लिये लगाया जाय तथा किन-किन बातों को पहले करना जरूरी है। पंच-वर्षीय योजना के बारे में संक्षेप में परिचय भी इसी भाग में दिया गया है। दूसरे भाग में शासन और जनता के सहयोग के बारे में बताया गया है। शासन के ढांचे का सुधार करने के बारे में भी कई तरह के सुझाव दिये गये हैं। तीसरे भाग में विकास के अलग-अलग प्रोग्रामों की रूपरेखा दी गई है। ये तीन बड़े शीर्षकों के अन्तर्गत आते हैं : कृषि, सिंचाई और सामूहिक विकास, उद्योग और संचार-व्यवस्था, और सामाजिक सेवा और रोजी-रोज़गार। प्रत्येक भाग के लिये किन बातों और साधनों की जरूरत है और नीति तथा कार्य के सम्बन्ध में कमीशन के अपने क्या सुझाव हैं, यह भी बताया गया है।

पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये विकास के कार्यों में सारे देश का सहयोग जरूरी है। साथ ही यह सहयोग केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच, राज्यों और स्थानीय अधिकारियों के बीच और सरकार तथा इच्छा-पूर्वक समाज सेवा का काम उठाने वाली संस्थाओं के बीच होना भी जरूरी है। यद्यपि योजना के नीचे आने वाले कई प्रोग्रामों का काम आगे बढ़ रहा है, फिर भी यह जरूरी है कि सभी देशवासी एक समान त्याग और साधनों को संगठित कर सभी योजनाओं और प्रोग्रामों को पूरा करने की कोशिश करें ताकि भविष्य में विकास की रफ्तार और अधिक तेज़ हो सके और सारे देश की काम करने की शक्ति योजना की ओर केन्द्रित हो सके।

योजना का उद्देश्य और तरीके

भारत में आयोजन का मुख्य उद्देश्य है जनता के जीवन के स्तर को ऊँचा उठाना और उनके लिए अधिक आरामदेह और व्यापक जीवन के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करना। जो कुछ साधन देश में मौजूद हैं उनका अधिक से अधिक अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है जिससे उनके द्वारा सामग्री और सेवाओं की अधिक से अधिक प्राप्ति हो। साथ ही आमदनी, धन-दौलत और अवसर की असमानता को कम करना भी ज़रूरी है। इस-लिए हमारा प्रोग्राम दुहरा होना चाहिए अर्थात् पैदावार बढ़ाना और असमानताओं को कम करना।

शुरूआत में हमें पैदावार बढ़ाने पर ज्यादा ज़ोर देना होगा क्योंकि इसके बिना किसी भी तरह की उन्नति हो ही नहीं सकती। लेकिन साथ ही साथ शुरूआत में हमको मौजूदा सामाजिक और आर्थिक ढाँचे को बदलने की तरफ़ भी ध्यान देना होगा क्योंकि बिना ऐसा किए पहले उद्देश्य की प्राप्ति तेज़ी और सफलता के साथ नहीं हो सकती। आयोजन का सार यह है कि सभी मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ा जाय। यह अवश्य है कि हमारे देश के साधन सीमित हैं और इसीलिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी चीजें पहले करनी है और कम जरूरी चीजें बाद में।

क्योंकि हमारे देश को एक लोकतंत्र गणराज्य माना गया हैं इसलिये आयोजन लोकतंत्र के ढंग पर ही हो सकता है और उसे सफल बनाने के लिये यह ज़रूरी है कि सारा देश काम में जुट जाय। साथ ही, योजना का नेतृत्व न सिर्फ़ ऊपर की सतह में कुछ लोगों के हाथ में हो बल्कि नीचे से नीचे की सतह में भी ऐसे लोग हों जो योजना को पूरा करने का भार अपने कन्धों पर

ले सकें और देश में भूमि और उत्पादन के साधनों के रूप में यथेष्ट सम्पत्ति हो। देश की अर्थ-व्यवस्था का विकास प्राप्त पूंजी पर निर्भर करता है। पूंजी की प्राप्ति दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है : एक तो देश के उपेक्षित साधनों का उपयोग करके और दूसरे देश के लिये उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए साधनों को दीर्घकालीन कार्यक्रमों में लगाकर। आर्थिक विकास के लिये प्रत्येक देश के सामने दो रास्ते रहते हैं : (१) देश पर कर लगाकर और ऋण तथा अन्य उपायों के द्वारा बचत करके पूंजी जमा की जाय, (२) आरम्भिक अवस्था में धीरे-धीरे पूँजी-संग्रह की ओर बढ़ा जाय। पहले उपाय के द्वारा देशवासियों को आरम्भ में तो बहुत कष्ट उठाना होगा लेकिन बाद में आराम मिलेगा। दूसरे उपाय के द्वारा आरम्भ में कष्ट कम रहेगा लेकिन विकास की गति धीमी हो जायगी। हमारे सामने समस्या यह है कि हम एक सही-सही बीच के रास्ते को पकड़ें। अतएव भारत में आयोजन का उद्देश्य होना चाहिये जितनी जल्द हो सके, लोगों की प्रति-व्यक्ति आमदनी को दुगुनी कर देना। इस सम्बन्ध में हमको तीन बातों का ध्यान रखना होगा : (१) आबादी की वृद्धि की गति, (२) पूंजी-संग्रह और राष्ट्र के उत्पादन में वृद्धि के बीच सम्बन्ध, और (३) राष्ट्र के बढ़े हुए उत्पादन का वह भाग जिसको और अधिक विकास तथा उत्पादन के लिये लगाया जा सकता है।

वर्तमान पंचवर्षीय योजना में यह अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होगी उसके २० प्रतिशत को विकास प्रोग्रामों के लिये लगाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त बाहरी साधनों से भी मदद मिलेगी। यह आशा की जाती है कि सन् १९५५-५६ तक हमारी राष्ट्रीय आय १०,००० करोड़ रुपये हो जायगी। सन् १९५०-५१ में यह आय लगभग ९,००० करोड़ रुपये आँकी गई थी। यदि सन् १९५६-५७ के बाद प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त उत्पादन के ५० प्रतिशत को विकास कार्यों के लिये लगाया जा सके तो अब से लगभग २७ वर्ष बाद अर्थात सन् १९७७ तक प्रति व्यक्ति आमदनी को दुगुनी किया जा सकेगा। अगर हमारी कोशिशें कुछ और अधिक हों और हम साधनों का उपयोग बड़ी सावधानी से करें तो सम्भव है कि लगभग २० साल में ही लोगों की प्रति व्यक्ति आमदनी दुगुनी हो जाय।

देश में पैदावार बढ़ाने के लिये न केवल पूंजी, परन्तु उत्पादन के तरीकों में सुधार और तरक्की की भी आवश्यकता है। इसके लिये उत्पादन के क्षेत्र में नये से नये प्रयोग और खोज करनी होगी। ऐसा करके हम सीमित साधनों के द्वारा भी अनुमान से अधिक उत्पादन कर सकते हैं।

योजना के अनुसार यह भी ज़रूरी है कि देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोज़ी-रोज़गार मिले। इसलिये अभी जो लोग बेकार हैं पहले उनकी मेहनत-मज़दूरी को विकास के प्रोग्रामों के लिये अधिक से अधिक लगाया जाय और बाद में उनके श्रम से उत्पादन और अधिक बढ़ाया जाय। इसके लिये भी उत्पादन के वर्तमान तरीकों में सुधार जरूरी है।

आयोजन का सार यह है कि आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर हम अपने चारों तरफ़ निगाह डालकर विचार करें। समस्या केवल यही नहीं है कि साधनों का विकास सीमित टैक्नीकल अर्थों में किया जाय बल्कि यह भी कि मनुष्य की गुणवत्ता में वृद्धि की जाय तथा अधिक बड़े और व्यापक उद्देश्यों के लिये सामाजिक और आर्थिक ढाँचे बदले जायँ। यह तभी संभव है जबकि देश के सभी वर्ग के लोग इस महान् उद्देश्य की पूर्त्ति के लिये संगठित होकर जी-जान से जुट जायँ।

पिछले ४० या ५० वर्षों से भारत में उद्योग, आबादी और व्यापार की दृष्टि से बढ़ती होती रही लेकिन यह सभी विकास देश की ज़रूरतों, और सम्भावनाओं को देखते हुए अधूरा और सीमित ही हुआ है। खास करके खेतीबाड़ी के मामले में जिन तरीकों का प्रयोग हो रहा है वे पुराने हैं और उनसे पैदावार बहुत ही कम बढ़ी है। पुराने कुटीर और छोटे-मोटे उद्योग-धन्धे अपना महत्त्व खोते गये हैं और देहाती क्षेत्रों में लोगों के पास बहुत अधिक फालतू समय बच रहता है। लेकिन साथ ही आबादी भी तेज़ी से बढ़ती रही है जबकि प्रति व्यक्ति आमदनी और रोज़ी-रोज़गार के मौके बिल्कुल ही नहीं बढ़े हैं। इसीलिये अब इस बात की जरूरत है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में ऐसी फेर-बदल हो जाय जिससे कि उत्पादन बढ़े और समता तथा न्याय प्राप्त हो सके।

देश के लिये यह ज़रूरी है कि वह अधिक पैदावार, बेकारी के अन्त, आर्थिक और सामाजिक समानता की प्राप्ति आदि की दिशा में आगे बढ़े परन्तु यह प्रगति सहसा और सभी दिशाओं में तेज़ी के साथ हो सकेगी ऐसा सोचना भूल होगी। इसीलिये हमको सावधानी के साथ यह सोचना होगा कि किन बातों को हम पहले लेवें और किनको बाद में, और किस प्रकार हम अपने प्राप्त साधनों का उपयोग अलग-अलग हालतों में करें।

देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार के लिये यह ज़रूरी है कि राज्य उस सुधार में महत्त्वपूर्ण भाग लेवें। संगठित उद्योगों की दिशा में निजी क्षत्र के लोगों ने भी बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग लिया है लेकिन निजी तौर पर उद्योगों का संचालन करने वालों को बहुत कुछ उन दशाओं के अन्दर रहकर कार्य करना होता है जो राज्य द्वारा निर्मित होती हैं। इसीलिये किसी भी आयोजित अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत निजी और राष्ट्रीय क्षेत्रों को एक ही संगठन के अंग के रूप में मिल-जुल कर काम करना होता है।

उदाहरणार्थ, खेती-बाड़ी का काम एक व्यक्ति के द्वारा अपने परिवार के लोगों की सहायता से चलाया जाता है, लेकिन खेती की पूरी-पूरी उन्नति राज्य के पर्याप्त सहयोग के बिना नहीं हो सकती। राज्य को न सिर्फ़ सिंचाई, बिजली, सड़क और संचार आदि की सुविधायें देनी होती हैं बल्कि लाभदायक बाज़ारों, टेक्नीकल सलाह और अन्य इसी प्रकार के कार्य करने होते हैं जिनसे कि खेतीबाड़ी का काम व्यक्ति और देश के लिये लाभदायक हो।

औद्योगिक क्षेत्र के लिये सरकारी नीति की घोषणा सन् १९४८ में औद्योगिक नीति सम्बन्धी बयान के द्वारा कर दी गई। उस नीति को लागू करने के लिये सन् १९५१ में उद्योग (विकास और नियम) कानून, पास किया गया। निःसंदेह जहां तक उचित लाभ और प्राप्त साधनों के उचित उपयोग का प्रश्न है, निजी तौर पर संचालित उद्योगों का अपना स्थान है, लेकिन किसी भी आयोजित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत निजी उद्योगपतियों को यह ध्यान में रखना है कि मज़दूरों, पूंजी लगाने वालों और माल के ख़रीदारों के प्रति उनके कुछ कर्त्तव्य हैं और उन्हें ईमानदारी तथा कुशलता का उच्च स्तर कायम रखना है।

योजना के अनुसार आर्थिक व्यवस्था को बदलने के लिये यह जरूरी है कि हमारे देश में सहकारिता के ढंग पर बनाये गये संगठनों का तेज़ी से विस्तार हो। छोटे-मोटे उद्योगों, खेतीबाड़ी की उपज की बिक्री, रिहायशी मकानों के निर्माण और थोक तथा फुटकर व्यापार की दिशा में सहकारिता का बहुत अधिक प्रसार हो सकता है और इसे बहुत ऊँची प्राथमिकता देनी होगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के संचालन के समय संस्थाओं में ढाँचे में तब्दीली भी दो उद्देश्यों को सामने रखकर होगी : (१) योजना में वर्णन किये गये सामाजिक उद्देश्यों की ओर यथा संभव बढ़ना, (२) संगठन की उन्नति में रुकावटें पैदा करने वाली कमियों को दूर करना। खास करके भूमि की मिल्कियत और प्रबन्ध के मामले में बड़े-बड़े परिवर्तन करने होंगे जिससे कि खेतिहरों को ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ाने का उत्साह दिलाया जा सके। जमींदारियों के खात्मे के ज़रिए इस ओर कुछ काम हो भी चुका है। खेतीबाड़ी में और अधिक सुधारों के मामले में इस रिपोर्ट में सुझाव दिये गये हैं। आयोजित आर्थिक व्यवस्था का लक्ष्य यह भी है कि प्राप्त साधनों का पूरा-पूरा उपयोग इस प्रकार किया जाय जिससे अधिक से अधिक अच्छे नतीजे निकलें। यह बात बहुत कुछ मूल्य सम्बन्धी नीति के द्वारा की जा सकती है। मूल्य, मुद्रा के प्रसार और आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिये कंट्रोल रखना जरूरी है।

आने वाले पाँच वर्षों के लिये यह भी बता देना जरूरी समझा गया कि किन बातों को पहले किया जाय और किनको बाद में। योजना में यह कहा गया है कि कृषि को, जिसके अन्तर्गत सिंचाई और बिजली प्रोग्राम आते हैं, सबसे ऊँची प्राथमिकता मिलेगी। इसका कारण यह है कि पहले हमारी आर्थिक व्यवस्था को जड़ से मज़बूत होना होगा। लेकिन साथ ही साथ राज्य को लोहा और इस्पात, भारी रासायनिकों, बिजली के यंत्रों और इसी प्रकार की अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के उद्योगों का ध्यान भी रखना होगा।

साधनों की खोज-बीन

साधनों का हिसाब लगाते समय मोटे तौर पर तीन बातों का ध्यान रखना है:—

(१) केन्द्र और राज्य सरकारों के विकास प्रोग्रामों के लिये रुपये का प्रबन्ध करना; (२) सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्रोग्रामों में लगनेवाली पूंजी और देश में प्राप्त पूंजी के बीच तालमेल रखना; और (३) दोनों के मिले-जुले फण्ड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के उपाय ढूंढना जिससे कि सरकारी और निजी क्षेत्र रुपया ले सकें।

राज्य और केन्द्र की सरकारों को सरकारी बचतों से (चालू राजस्व और रेल आदि से) करीब ७३८ करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। छोटी बचतों, कर्ज़ों, वगैरह से भी ५२० करोड़ रुपये मिल जाने की आशा है। इस तरह केन्द्र और राज्य सरकारों को करीब १,२५८ करोड़ रुपया मिल जायगा जब कि योजना का कुल खर्च करीब २,०६९ करोड़ रुपये है।

बजट के साधारण साधनों से इस तरह मिले १,२५८ करोड़ रुपये के अलावा १५६ करोड़ रुपये की विदेशी मदद भी है जोकि मिल चुकी है। यह मदद अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड से मिली है। इस तरह कुल ६५५ करोड़ रुपया कम पड़ता है। इस कमी को विदेशी सहायता और अगर वह न मिले तो भीतरी करों और कर्ज़ों से ही पूरा करना होगा। परन्तु २,०६९ करोड़ रुपये का लक्ष्य तो रखना ही होगा जिससे कि विकास की नींव रखी जा सके।

योजना के खर्च का ब्योरा इस प्रकार है:—

	मूल वर्ष १९५०–५१			योजना काल १९५१–५६		
	केन्द्र (जिसमें भाग 'ग' के राज्य शामिल हैं)	भाग 'क' और 'ख' राज्य और काश्मीर	कुल	केन्द्र (जिसमें भाग 'ग' राज्य शामिल हैं)	भाग 'क' और 'ख' राज्य और काश्मीर	कुल
सरकारी बचत:—						
(क) चालू राजस्व से	७१	५१	१२२	१६०	४०८[1]	५६८
(ख) रेलवे	२३	...	२३	१७०	...	१७०
गैर सरकारी बचत:—						
(क) जनता के कर्ज़ से	—११	८	—३	३६[2]	७९	११५
(ख) छोटी बचतें और दूसरे कर्ज़	४२	...	४२	२७०	...	२७०
(ग) जमा हुई रक़मों के कोष और इन के मिले-जुले साधन	...	३८	३८[3]	९०	४५	१३५
कुल	१२५	९७	२२२	७२६	५३२	१,२५८

[1] इसमें वे ३ करोड़ रुपये शामिल हैं, जो अन्दाज़ में सरकारी योजना के लिये काश्मीर के चालू राजस्व से मिलेंगे।

[2] यह औद्योगिक कर्मचारियों के प्राविडेंट फंड में से सरकारी सीक्योरिटियों में लगाई जाने वाली अनुमानित रक़म है। इसको ध्यान में रखते हुये योजना में औद्योगिक कर्मचारियों के घरों के लिये कर्ज़ों और सहायता के रूप में ३८.५ करोड़ रुपये रखे गये हैं।

[3] इसमें १६ करोड़ रुपये वे हैं जो संग्रह की कमी द्वारा सरकारी व्यापार से मिलेंगे। राज्यों में कुछ रुपया जमा हो जाने के कारण सम्भवतः केन्द्र को उसकी रक़में मिलने में देर लगे।

कुछ रुपयों के लिये हम अपने पौंड पावने का भी सहारा ले सकते हैं। पांच वर्षों में करीब २९० करोड़ रुपये पौंड पावने से भी मिल सकेंगे। इसके साथ ही हमें टैक्स इकट्ठा करने के तरीकों में भी फेर–बदल करनी होगी। जैसे-जैसे देश की आमदनी बढ़ती जायगी, हमें करों से भी अधिक रुपया मिलेगा। इस मामले में कर एक महत्त्वपूर्ण भाग अदा करेंगे। फिलहाल जनता में कर न देने की एक भावना है। हमें इसे दूर करना होगा और इसके साथ ही प्रशासन में भी सुधार करने होंगे।

करों के साथ-साथ ही उधार लेने के तरीकों में भी परिवर्तन करना होगा। इन पांच वर्षों में केन्द्र और राज्य छोटी-छोटी बचतों और कर्ज़ वगैरह से ३८५ करोड़ रुपये इकट्ठा करेंगे। इन में से २५० करोड़ रुपये तो छोटी-छोटी बचतों से ही मिल जायेंगे। यह तय हो गया है कि राज्यों द्वारा ४४½ करोड़ रुपये की वर्तमान स्तर को पूरा कर लेने के बाद जो ज्यादा रक़म इकट्ठी की जायगी वह उसी राज्य में केन्द्रीय कर्ज़ के रूप में रोक ली जायगी। राज्य सरकारें इन छोटी-छोटी बचतों को स्थानीय विकास योजनाओं के साथ जोड़ सकेंगी जिनमें स्थानीय जनता का अधिक हित होता है। इस ढंग से लोगों को छोटी-छोटी बचतों में रुपया देने के लिये अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

योजना की कामयाबी इस बात पर अधिक है कि किस तरह केन्द्रीय और राज्य सरकारें आपस में मिल कर काम करती हैं। भीतरी साधनों से अनुमानित १,२५८ करोड़ रुपये में से केन्द्र को ७२६ करोड़ रुपये और राज्य सरकारों को ५३२ करोड़ रुपये इकट्ठे करने हैं। केन्द्र को दूसरी जिम्मेवारियों को भी निभाना होगा। इन पांच वर्षों में राज्यों को केन्द्र से नदी घाटी योजनाओं, छोटी-मोटी सिंचाई योजनाओं, घरेलू उद्योगों, विस्थापित व्यक्तियों को बसाने तथा सामूहिक विकास योजनाओं के लिये लगातार रुपया मिलता रहेगा।

भारत में साधनों का हिसाब करने के लिये अभी पूरे आँकड़े प्राप्त नहीं हैं। रिपोर्ट में एक मोटा अन्दाज़ा ही लगाया गया हैं। इन अन्दाज़ों के

अनुसार १९५०–५१ में भारत की राष्ट्रीय आमदनी करीब ९,००० करोड़ रुपये थी जिसमें से ९५ प्रतिशत उपभोग्य सामग्रियों में ही खर्च हो जाती थी और केवल ४५० करोड़ ही पूंजीगत निर्माण के लिये बचती थी। योजना में इस बात का ध्यान रखा गया है कि पूरी होने पर १९५५–५६ में राष्ट्रीय आमदनी बढ़ कर १०,००० करोड़ रुपये हो जाय और इस बीच में देश के पूंजीगत निर्माण का सामर्थ्य भी बढ़े।

इसके साथ ही हमें देश के अन्य साधनों का भी इस्तेमाल करना है। देश में बेकार पड़े जन-बल को इस क्षेत्र में लगाकर काफी उन्नति की जा सकती है। योजना में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि छोटी-मोटी सिंचाई योजनाओं, सामूहिक विकास योजनाओं वगैरह में स्थानीय जन-बल का ज्यादा फायदा उठाया जाय।

पंचवर्षीय योजना का खाका

पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा २,०६९ करोड़ रुपये खर्च किये जायंगे। इसमें इन बातों का खास ध्यान रखा गया है:—(१) विकास को इस तरीके से आगे बढ़ाना कि आने वाले दिनों में वह इससे भी बड़े काम की नींव बन सके, (२) विकास के लिए देश को प्राप्त सब साधन और स्रोत लगाना, (३) सरकारी और निजी क्षेत्रों में विकास और साधनों की जरूरतों के बीच निकट सम्बन्ध, (४) योजना से पहले केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विकास योजनाओं को पूरा करने की जरूरत और, (५) लड़ाई और देश के बंटवारे से पैदा हुई गड़बड़ी को दूर करने की जरूरत।

खर्च का ब्योरा कुछ इस तरह है :—

	(करोड़ रुपयों में)	(कुल का प्रतिशत)
खेती और सामूहिक विकास	३६१	१७.५
सिंचाई	१६८	८.१
बहुउद्देश्यीय सिंचाई और बिजली योजनाएँ	२६६	१२.९
बिजली (शक्ति)	१२७	६.१
परिवहन और संवाद वहन	४९७	२४.०
उद्योग	१७३	८.४
सामाजिक सेवाएं	३४०	१६.४
फिर से बसाना	८५	४.१
अन्य	५२	२.५
	२,०६९	१००.०

इस खर्च में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में उत्पादक साज-सामान भारी मात्रा में मिल जायगा जो कि आने वाले दिनों में विकास की नींव बनेगा। इसका ब्योरा कुछ इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

(१)	वह खर्च जिससे केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की उत्पादक पूंजी का स्टाक बढ़ेगा	१,१९९
(२)	वह खर्च जिससे निजी क्षेत्र में उत्पादक पूंजी के बनने में मदद मिलेगी—	
	(क) खेती और गाँव विकास पर खर्च (सामूहिक विकास योजनाओं और कमी वाले इलाकों के प्रबन्ध को छोड़ते हुए)	२४४
	(ख) परिवहन और उद्योग के लिए ऋण	४७
	(ग) स्थानीय विकास को प्रोत्साहन देने का प्रबन्ध (सामूहिक योजनाएँ तथा स्थानीय निर्माण कार्य)	१०५
(३)	सामाजिक पूंजी सम्बन्धी खर्च	४२५
(४)	वह खर्च जो ऊपर की मदों में नहीं दिखाया गया (कमी वाले इलाकों के सम्बन्ध के खर्च सहित)	४९
		२,०६९

इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कुल खर्च का ६० प्रतिशत उत्पादक पूंजी बन जायगा जो केन्द्र और राज्य सरकारों की मिल्कियत होगी। सिंचाई और बिजली, परिवहन और संचार और उद्योग के क्षेत्रों में ऐसा अधिक होगा।

केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच कुल खर्च का बटवारा मोटे तौर पर इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
केन्द्रीय सरकार (रेलों सहित)	१,२४१
राज्य : क भाग	६१०
ख भाग	१७३
ग भाग	३२
जम्मू व काश्मीर	१३
	२,०६९

इस बंटवारे से जाहिर हो जाता है कि खर्च में केन्द्र (रेलों को मिलाकर) का भाग करीब ६० प्रतिशत है। नदी घाटी योजनाओं, सामूहिक विकास योजनाओं, विस्थापित व्यक्तियों को बसाने आदि का खर्चा केन्द्रीय सरकार के जिम्मे रहेगा ही। इसके अलावा इन योजनाओं पर रुपया लगाने के लिए केन्द्र राज्य सरकारों को ऋण भी देगा।

जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़ कर शेष राज्यों में विकास के प्रोग्रामों पर इस प्रकार खर्च होगा :—

राज्य योजनाएँ

(करोड़ रुपयों में)

क भाग के राज्य		ख भाग के राज्य		ग भाग के राज्य	
आसाम	१७.४९	हैदराबाद	४१.५५	अजमेर	१.५७
बिहार	५७.२९	मध्यभारत	२२.४२	भोपाल	३.९०
बम्बई	१४६.४४	मैसूर	३६.६०	बिलासपुर	०.५७
मध्यप्रदेश	४३.०८	पेप्सू	८.१४	कुर्ग	०.७३
मद्रास	१४०.८४	राजस्थान	१६.८२	दिल्ली	७.४८
उड़ीसा	१७.८४	सौराष्ट्र	२०.४१	हिमाचलप्रदेश	४.५५
पंजाब	२०.२१	ट्रावन्कोर कोचीन	२७.३२	कच्छ	३.०५
उत्तरप्रदेश	९७.८३			मणिपुर	१.५५
पश्चिमी बंगाल	६९.१०			त्रिपुरा	२.०७
				विंध्य प्रदेश	६.३९
कुल जोड़	६१०.१२		१७३.२६		३१.८६

राज्यों के बारे में ये योजनाएँ राज्य सरकारों के मशविरे से एक वर्ष पहले से तैयार की गई थीं। जहाँ-जहाँ राज्य सरकारों ने कुछ फेर-बदल करने को कहा है वहाँ कुछ शर्तों के साथ ऐसा कर दिया गया है। योजना की आर्थिक नींव का ढाँचा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	केन्द्रीय सरकार	राज्य (जम्मू व काश्मीर सहित)	कुल जोड़
विकास पर प्रस्तावित खर्च	१,२४१	८२८	२,०६९
बजट के साधन :			
(१) चालू राजस्व से बचत	३३०	४०८	७३८
(२) पूंजीगत प्राप्ति (रक्षित कोश से निकाली गई रकमों को छोड़ते हुए)	३९६	१२४	५२०
(३) योजना के सम्बन्ध में सरकारों का आपसी लेन-देन (अर्थात् केन्द्रीय सहायता)	—२२९*	२२९*	
	४९७	७६१	१,२५८
बाहरी साधन, जो पहले ही प्राप्त हो चुके हैं	१५६	....	१५६
कुल जोड़	६५३	७६१	१,४१४

*इसमें ४ करोड़ रुपये की रकम अनुसूचित जन-जातियों के लिए कानूनी रूप से दी गई सहायता की है, जो आसाम राज्य योजना में अनुसूचित जन-जातियों के विकास खर्चे के एक अंश के रूप में मिलेगी।

योजना की रूपरेखा को देखते हुए कहा जा सकता है कि खेती और उत्पादक उद्योगों में बहुत उन्नति होगी। नौकरियों और पेशों, परिवहन और उद्योग और छोटी-मोटी कोशिशों के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। शिक्षा के फैलाने, सफाई, स्वास्थ्य, संचार आदि में जनता का सहयोग कितना आगे ले जायगा, यह निश्चित रूप से अभी नहीं कहा जा सकता।

प्रशासन और जनता का सहयोग

पंचवर्षीय योजना का मकसद संविधान में बताई गई सामाजिक और आर्थिक नीति को अमल में लाना है। विकास की रफ़्तार सरकारी अफ़सरों की योग्यता, ईमानदारी और जनता के सहयोग पर ही निर्भर करेगी। आने वाले वर्षों में लोक-सेवाओं पर काफी भार पड़ेगा और जनता के सहयोग की बहुत ज़रूरत होगी।

लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच सहयोग रहना बहुत ही ज़रूरी है। राजनीतिक दल, जो सरकार चलाते हैं, नीति निश्चित करते हैं। परन्तु इसे कामयाबी से चलाने की जिम्मेवारी सरकारी कर्मचारियों पर ही होती है।

प्रशासन में ईमानदारी, निपुणता और जन-सहयोग को प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। यदि सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी में जनता को शक होगा तो फिर जनता का सहयोग ठीक तरह से नहीं मिल सकेगा। योजना में प्रशासन के सुधार के लिये बहुत से सुझाव दिये गए हैं। उन सुझावों में सरकारी कर्मचारियों के किसी रिश्तेदार के एकदम मालामाल हो जाने पर जांच करना, सरकारी नौकर को हर साल अपनी चल और अचल जायदाद का ब्यौरा देना, जिन अफसरों की नीयत के बारे में शक हो उन्हें लाभ की जगहों से हटाना और दफ़्तरी जांच-पड़ताल आदि भी हैं। इन तरीकों से सरकार को प्रशासन से गन्दगी दूर रखने में मदद मिलेगी। इन सुझावों के अलावा यह सुझाव भी रखा गया है कि विभागों के आला अफ़सर इस बात का ध्यान रखें कि विभाग के काम में देर न हो। उदाहरण के लिये अर्ज़ियों को निबटाने में देरी, भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा कारण है। इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया

है कि जहाँ कहीं भी इस प्रकार की देरी हो, वहाँ जाँच-पड़ताल की जाए और देरी के कारण को दूर किया जाए।

पिछले कुछ सालों से केन्द्र और राज्य सरकारों के दफ्तरों में काम बहुत बढ़ गया है। अनेक बार ऊँचे दफ्तर से निर्णय प्राप्त करने में देर होती है और काम बढ़ा रहता है। कमीशन ने काफी सोच-विचार के बाद यह सुझाव रखा है कि केन्द्र और राज्य सरकारें जांच-पड़ताल करके यह देखें कि कुछ काम छोटे दफ्तरों के निर्णय पर ही छोड़े जा सकते हैं या नहीं।

सरकार का काम बढ़ जाने से सरकारी नौकरों के प्रबन्ध में भी फेर-बदल की ज़रूरत है। योग्य कर्मचारियों की कमी के कारण इस ओर भी कमीशन ने सरकार का ध्यान खींचा है। जरूरी सुधार लाने के लिये योजना में इन कर्मचारियों की भर्ती, ट्रेनिंग आदि के बारे में भी सुझाव दिये गये हैं। योजना को लागू करने से राज्य की सेवाओं में भी संगठन और सुधार की ज़रूरत है। योजना में यह सुझाव रखा गया है कि केन्द्रीय सरकार एक केन्द्रीय श्रेणी बनाने के बारे में जांच-पड़ताल करे और जो राज्य सरकारें इसमें शामिल होना चाहें, उनसे सलाह करके खेती, इंजीनियरिंग, जंगल और स्वास्थ्य आदि सेवाओं की एक केन्द्रीय श्रेणी बनाए। इस मिली-जुली कोशिश से एक ऐसी श्रेणी बन जाएगी जिससे कि राज्य सरकारों को विकास के क्षेत्र में काम करने के लिये सुयोग्य कर्मचारी मिलते रहेंगे।

पंचवर्षीय योजना में निजी उद्योग और व्यापार को भी काफी स्थान मिला है और उनके पनपने की पूरी आशा है। योजना में एक ऐसे केन्द्रीय बोर्ड के बनाने का भी सुझाव है जो कि सरकार की नीति, प्रबन्ध और संगठन के बारे में सलाह देता रहे।

कुछ वर्ष पहले तक ज़िला प्रशासन का काम सिर्फ इतना था कि शान्ति बनाये रखे और मालगुज़ारी इकट्ठी करता रहे। परन्तु अब जिला प्रशासन पर भी काफी ज़िम्मेवारी आ गई है और यह ज़रूरी है कि ज़िला प्रशासन को उसकी नई ज़िम्मेवारी के लिए तैयार किया जाय। विकास प्रोग्रामों को लागू करने में जनता का असली सहयोग बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए ज़िला

प्रशासन को इसके अनुकूल ढालना होगा। ज़िले के अफसरों का काम और ज़िम्मेवारी बहुत बढ़ जायेगी और उनको काफी मदद मिलनी चाहिए। ज़िला अधिकारियों की ट्रेनिंग, काम करने के तरीकों आदि के बारे में भी सुझाव रखे गये हैं। गाँवों के अन्दर ग्राम पंचायतों को विकास की एजेंसी के रूप में लेते हुए इस बात की सिफारिश की गई है कि उसके अधिकार बढ़ाये जायँ और नई ज़िम्मेवारियों को उठाने के लिए उनको तैयार किया जाय।

ग्राम्य विस्तार सेवाओं के महत्त्व को अच्छी तरह समझते हुए और 'अधिक अन्न उपजाओ' जांच समिति की सिफारिशों पर सोच-विचार करने के बाद योजना में एक राष्ट्रीय विस्तार संगठन की सिफारिश की गई है और यह आशा की गई है कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में राज्यों की मदद करेगी। हर राज्य अपनी ज़रूरतों और हालतों को देखते हुए विस्तार संगठन का ढाँचा तैयार करेगा।

विकास प्रोग्रामों में स्थानीय संस्थाओं का अपना महत्त्व है। गत दस वर्षों में स्थानीय संस्थाओं की हालत कुछ अच्छी नहीं रही है। विकास प्रोग्रामों में स्थानीय सहयोग प्राप्त करने और लोकतंत्र सरकार के ढाँचे को मज़बूत बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि विकास प्रोग्रामों में राज्य सरकारें और जनता द्वारा चुने गये स्थानीय संस्थाओं के मेम्बर आपस में पूरी तरह मिल कर काम करें। राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग पर योजना में पूरा ज़ोर दिया गया है। इस मामले में पार्लमेण्ट और असेम्बलियों के सदस्यों को, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्ध क्यों न रखते हों, सहयोग प्राप्त करने पर बहुत ज़ोर दिया गया है।

ज़िले के काम की देख-भाल करने और अलग-अलग इलाकों के काम में ताल-मेल रखने के लिए सेक्रेटेरियट के विभागों और ज़िला अफसरों के बीच एक अफसर नियुक्त करने का भी सुझाव है। इन विकास प्रोग्रामों में सामाजिक सेवा में लगी संस्थाओं की सहायता प्राप्त करने पर भी ज़ोर दिया गया है और यह विचार प्रकट किया गया है कि इस प्रकार की सेवा-संस्थाएँ बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं।

आयोजन के पीछे लोगों की राय और जनता का सहयोग सबसे बड़ी

ताक़त है। योजना की कामयाबी सरकार और जनता के सहयोग पर ही निर्भर करती है। योजना की कामयाबी के लिए यह ज़रूरी है कि जनता में इस बात का विश्वास हो कि यह राजनीतिक दलबन्दी के ऊपर एक राष्ट्रीय योजना है। योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए और इस काम में अखबार, रेडियो, फिल्म, नाटक और लेखकों आदि की मदद लेनी चाहिए। जनता का सहयोग तभी पूरी तरह मिल सकता है जब कि हम उसे इस बात का विश्वास दिला दें कि योजना के पूरी होने पर उसको लाभ पहुँचेगा और योजना उसी की भलाई के लिए है। स्थानीय प्रोग्रामों को अमल में ला कर ही हम स्थानीय सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। योजना में १५ करोड़ रुपया इस बात के लिए ही रखा गया है कि देहातियों को ऐसे कामों में सहायता दी जाय जिनको वे ज्यादातर अपनी मेहनत से ही पूरा करना चाहते हैं और जो उनकी तुरन्त की ज़रूरतों को पूरी करता है।

जनता का सहयोग प्राप्त करने में स्थानीय संस्थाओं के अलावा यूनीवर्सिटियों और वालंटियर दलों से भी मदद लेनी चाहिए। सामाजिक कार्य में लगे वालंटियर दल इस कार्य में बहुत सहायक साबित हो सकते हैं। योजना में ४ करोड़ रुपये इन बालंटियर दलों और एक करोड़ रुपये नौजवानों के कैम्पों और विद्यार्थियों की शारीरिक सेवा के लिए रखे गये हैं जो केन्द्रीय सरकार देगी।

हाल ही में दो ऐसी संस्थाएँ बनी हैं जो सारे देश का सहयोग प्राप्त करने में बहुत ही महत्त्वपूर्ण भाग लेंगी। ये हैं—राष्ट्रीय सलाहकार कमेटी और भारत सेवक समाज। राष्ट्रीय सलाहकार कमेटी में देश की सभी रायों के लोग हैं और इससे आशा की जाती है कि यह राष्ट्रीय विकास के सम्बन्ध में जन-सहयोग के प्रोग्रामों की जांच-पड़ताल करेगी, जनता का सहयोग प्राप्त करने में की गई प्रगति के बारे में समय-समय पर आयोजन कमीशन को सलाह देगी, भारत सेवक समाज के केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्टों पर विचार करेगी और समाज द्वारा लाये गये मामलों पर उसे सलाह देगी और जनता के सहयोग के प्रोग्रामों और नीति के मामलों में भारत सेवक समाज के केन्द्रीय बोर्ड को सुझाव देगी और सिफारिश करेगी।

भारत सेवक समाज एक गैर-राजनीतिक और गैर-सरकारी संस्था है जो रचनात्मक कार्यों के लिए देश को तैयार करेगी । भारत सेवक समाज का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों के लिए इच्छापूर्वक सेवा के मार्ग ढूंढ़ना, देश की धन-दौलत बढ़ाना और राष्ट्र को अपनी ज़रूरतें आप पूरी करने के योग्य बनाना, जाति की सामाजिक हालत सुधारना और पिछड़े हुए वर्गों को आगे बढ़ाना और लोगों के बेकार पड़े साधनों, शक्ति और समय को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में लगाना है ।

भारत सेवक समाज जनता का एक ऐसा प्लैटफार्म है जहाँ राष्ट्रीय योजना में अपना समय और शक्ति लगाने के इच्छुक लोग कार्य कर सकते हैं और इसके साथ ही यह वर्तमान वालंटियर दलों के विकास में सहायता भी देता है ।

खेती-बाड़ी के काम, सिंचाई और बिजली

भारत की ८१·१ करोड़ एकड़ भूमि में से केवल ६१.५ करोड़ एकड़ भूमि के आंकड़े मिलते हैं। भारत भर में खेती कुल ३२.४ करोड़ एकड़ भूमि में होती है। जो कुछ आंकड़े मिलते हैं, उनसे यह मालूम होता है कि आबादी जितनी बढ़ी है, खेती के रकबे में उस हिसाब से बढ़ती नहीं हुई। बोये जाने वाले कुल खेतों में कोई खास बढ़ती न दीख पड़ने पर भी दो फसलवाले खेतों में २० फी सदी बढ़ती हुई है। सिंचाई की बड़ी योजनाओं से सींचे जाने वाले खेतों में १० फी सदी की बढ़ती हुई है, पर सिंचाई की छोटी योजनाओं से सींचे जाने वाले खेतों में कोई खास तबदीली नहीं हुई। इस कारण उस सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर कोशिश की ज़रूरत है। ज़मीन के उपजाऊपन में कोई कमी होती हुई मालूम नहीं देती।

अन्न की औसत उपज ४.४ से ४.५ करोड़ टन के आस-पास है। प्रत्येक व्यक्ति के लिये प्रतिदिन १३.७ औंस अन्न जुटाने के लिये १९५५-५६ तक अन्न की उपज ६७ लाख टन बढ़ा देनी पड़ेगी। इसलिये हमने ७६ लाख टन अन्न अधिक उपजाने का लक्ष्य अपने सामने रखा है। रुई और पटसन में इसी प्रकार क्रमशः ५३ लाख तथा ७२ लाख गांठों की बढ़ती करनी है।

यह कहना ग़लत होगा कि देहात का आर्थिक ढांचा जहां का तहां बना हुआ है। पिछले कई दशकों में बहुत सी बातें हुई हैं, जैसे बारानी क्षेत्रों में सिंचाई हो रही है, कई नई फसलें उगाई जा रही हैं, उद्योग-धन्धों और खेती का एक दूसरे पर ज़बर्दस्त असर दिखाई पड़ रहा है, देहाती इलाकों की कर्ज़दारी

अब उतना बड़ा सवाल नहीं रही, और सबसे बड़ी बात यह है कि देहातों में रहन-सहन के मानदंड को ऊंचा करने की इच्छा और जाग्रति फैल गई है। देश के विभाजन से खेती को बहुत हानि पहुँची, पर इस बीच में स्थिति काफी सम्भल गई है। किसान की समस्याओं को एक-एक करके नहीं, बल्कि सबको मिला कर सुलझाने की ज़रूरत है। हमारा उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जबकि देहात में मनुष्य तथा द्रव्य दोनों दृष्टियों से सही वातावरण उत्पन्न हो। इस लिये ज़ोर इस बात पर है कि सहकारी ढंग से सारी बातें सुलझाई जायें। सरकारी ढांचे में लगे हुए लोगों का कर्त्तव्य यह है कि गांव वाले जो काम उठावें, उनमें उन्हें सच्ची सहायता मिले और उनका रास्ता साफ़ हो।

देहातों के सही ढंग पर विकास के लिये यह ज़रूरी है कि जो कट्टर सामाजिक ढांचा बना हुआ है उसकी ओर से विरोध खत्म कर दिया जाय। योजना बनाकर काम करने का उद्देश्य यह है कि सारा आर्थिक ढांचा ढंग पर एक साथ चले जिससे कि सामूहिक विकास हो, उपज बढ़े और उसका ढंग से बँटवारा हो सके। इसलिये योजना में सामाजिक ढांचे को इस तरह से बदलने पर ज़ोर दिया गया है जिससे कि हैसियत और सुविधा के भेद दूर हो जायें, और गांव राष्ट्रीय योजना की इकाई के रूप में काम करने लगें। पंचवर्षीय योजना में अन्न और साथ ही व्यापार के लिये पैदा की जाने वाली फसलों को बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है। इस सम्बन्ध में हम जो कुछ करना चाहते हैं, वह छोटी-बड़ी सिंचाई योजनाओं के प्रसार, खेती के विस्तार, पड़ती ज़मीनों के उद्धार, तथा वैज्ञानिक खेती से पूरा किया जाएगा। जहां भी सम्भव होगा डेरियां खोली जायेंगी, गांव के धन्धे बढ़ाए जायेंगे और बिजली की शक्ति तथा अधिक अच्छे औज़ार काम में लाये जायेंगे। समुद्र और नदी को भी जहां तक हो सकेगा काम में लाया जाएगा। इसलिये मछलियों को पकड़ने की भी एक बड़ी योजना इसके अंग के रूप में है। खेतिहर मज़दूरों को विकास के लिए कर्ज़ भी दिया जायेगा। उद्योग-धन्धा, संचार तथा सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में जो कुछ किया जायेगा, उससे देहात के आर्थिक ढांचे पर अच्छा असर पड़ेगा।

खेती में सहकारी संगठनों पर ज़ोर दिया गया है। सच तो यह है कि

लोकतंत्र में इसके बिना सामाजिक और आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। भारत में एक करोड़ बीस लाख व्यक्ति १,७३,००० सहकारी समितियों में संगठित हैं, और इनकी कार्यकारी पूंजी २३३ करोड़ रुपए है। गत पांच साल में सहकारी संगठनों की उन्नति हुई है, और अब इनमें ज़्यादा से ज़्यादा किस्म के काम हो रहे हैं। योजना के चलाने वालों को चाहिये कि वे सहकारी तरीकों को प्रोत्साहन दें, और यह न समझें कि सहकारी विभाग पर ही सहकारी विकास की ज़िम्मेदारी है। रिज़र्व बैंक की सहायता के कारण आने वाले सालों में सहकारी विकास के आसार अच्छे मालूम होते हैं। केन्द्रीय सरकार ने सहकारिता में ट्रेनिंग तथा सहकारी संगठनों में प्रयोग करने के लिए ५० लाख की रकम दी है।

यह ज़रूरी है कि पंचवर्षीय योजना में खेती सम्बन्धी हमारा लक्ष्य पूरा हो, साथ ही यह भी ज़रूरी है कि धन और आमदनी में फर्क कम हो जाय, शोषण खत्म हो, किसान और मज़दूर को सुरक्षा मिले, और देहाती इलाकों के अलग-अलग हिस्सों में लोगों की हैसियत और सुविधाओं में बराबरी हो। यदि ये बातें नहीं हुईं तो पंचवर्षीय योजना की सफलता क्या है? यह प्रस्ताव रखा गया है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें ज़मीन सम्बन्धी सुधारों को बदर्जा काम में लायें। योजना में बिचवैये बड़े मालिक, छोटे और मध्यम दर्जे के मालिक, किसान और खेतिहर मज़दूर के सम्बन्ध में ज़मीन सम्बन्धी सुधार बताये गये हैं। बिचवैयों यानी ज़मींदारों को या तो खत्म कर दिया गया है या वे खत्म किए जा रहे हैं। जहां जमींदारी प्रथा थी, वहाँ खास प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। गाँव के अच्छे रेकार्ड भी तैयार किए जायें। आंकड़े प्राप्त करने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है कि १९५३ में भारत के सब राज्यों में ज़मीन की मिलकियत और खेती के सम्बन्ध में विशेष गणना हो।

एक व्यक्ति कितनी हद तक ज़मीन का मालिक बन सकता है, इसका निर्णय करना ज़रूरी है। सबकी भलाई को देखते हुए ही यह सवाल तय होना चाहिए न कि इस बात पर कि व्यक्तियों के अधिकार और दावे क्या हैं।

प्रत्येक राज्य को अपनी परिस्थिति को देखकर इस हद का निर्णय करना चाहिए। फिर भी यह कहा जा सकता है कि किसी एक मालिक के अधीन तीन परिवारों के उपयुक्त ज़मीन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह याद रहे कि भविष्य में ज़मीन प्राप्त करने तथा निजी खेती के लिए किसान से ज़मीन ले लेने पर ही यह हद सम्बन्धी नियम लागू किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कौन से नियम बनाये जायें यह तो १९५३ में होने वाली प्रस्तावित गणना से ही ठीक-ठीक बताया जा सकेगा। एक बात यह भी बहुत ज़ोर से लागू करनी पड़ेगी कि जिसके पास भी ज़मीन हो वह कानून द्वारा तय किये हुये मानदण्ड के अनुसार उसे काम में लाता है। यदि किसी के पास ज़मीन हुई और उसने उसे बेकार तो नहीं, पर आधा बेकार रखा, तो उसे इस बात से रोकना पड़ेगा।

जिनके पास एक परिवार द्वारा जोतने-बोने लायक ज़मीन है, वे छोटे किसान और जिनके पास तीन परिवारों द्वारा जोतने-बोने लायक तक ज़मीन है, वे मध्यम किसान कहलायेंगे। उद्देश्य यह होना चाहिये कि छोटे और मध्यम किसानों को मदद दी जाये, और उन्हें इस काबिल बनाया जाये कि वे जहां तक हो सके सहकारी समितियों में संगठित हो जायें। छोटे किसानों के लिये यह बहुत ज़रूरी है कि राज्य उन्हें ऐसा मौका दे जिससे कि वे अपनी ज़मीनों को एक जगह कर सकें। यह भी होना चाहिये कि एक हद के बाद ज़मीन के टुकड़े करने की मुमानियत कर दी जाय। गैर मुस्तकिल काश्तकारों के पास ज़मीन ५ से १० साल तक की शर्त पर रहे, और यह शर्तनामा ऐसा होना चाहिये कि अवधि खत्म होने पर दुबारा चालू हो सके। उनसे ज़मीन वापस लेना तभी जायज़ हो जब कि मालिक खुद खेती करना चाहे। लगान के सम्बन्ध में यह नीति होनी चाहिये कि खेती का खर्च और दूसरी विपत्तियों का हिसाब लगा कर भी काश्तकार के पास काफ़ी बच जाये। कुछ राज्यों में लगान उपज का एक तिहाई यहाँ तक कि एक चौथाई तक कर दिया गया है। यह सुझाव रखा जा रहा है कि देश के अधिकांश हिस्सों में यदि लगान उपज के चौथे या पांचवें भाग से अधिक है, तो उसके लिये विशेष कारण देना पड़ेगा।

खेतिहर मज़दूरों पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। भूदान से उनको विशेष मौका मिल सकता है। इसलिये भूदान पर ज़ोर देना चाहिए। ऐसे सामाजिक ढांचे को कायम रखना मुश्किल है जिसमें लोग जन्म या अन्य परिस्थितियों की आकस्मिकता के कारण मालिक तथा सही मानों में किसान नहीं हो सकते। इसलिये इस सारी समस्या को जड़ से सुलझाने की ज़रूरत है। होना यह चाहिये कि खेतिहर मज़दूरों को सहकारी खेती के कार्य में इस तरह से खपा लिया जाये कि उन्हें उठने और आगे बढ़ने का मौका मिले।

खेती की उपज को बढ़ाने के लिये तथा समय की बचत करने के लिये यह ज़रूरी है कि छोटे और मध्यम किसानों को इसके लिये प्रोत्साहन दिया जाय कि वे इच्छापूर्वक सहकारी कृषि समितियों के ज़रिये से काम कर सकें। सहकारी खेती से ही गाँव के जीवन में दूसरें सहकारी कार्यों को मदद मिलेगी। ऐसा समझा गया है कि यदि खेतों का बँटवारा एक परिवार के द्वारा जोतने-बोने लायक ज़मीन के टुकड़ों में किया जाये, और उन्हें सहकारी संगठनों में संगठित किया जाये, तो इस से 'ज़मीन किसकी ? किसानों की'— इस नारे को व्यावहारिक रूप प्राप्त होने में मदद मिलेगी। ज़मीन पर दबाव बहुत ज्यादा है, और दूसरें धन्धों का विकास कम हुआ है, इसलिये यह ज़रूरी है कि गांव की सारी ज़मीन के लिये एक सहकारी व्यवस्था हो जिससे गांव में खेती के अलावा दूसरे धन्धे भी चालू किये जा सकें, और सामाजिक सेवा की जाये। यह सुझाव रखा जाता है कि ज़मीन सम्बन्धी कानून ऐसा हो कि गांव की पंचायतों पर ऐसी सारी ज़मीन की व्यवस्था का भार दिया जाये जिसमें खेती नहीं होती, या जिस पर उसके मालिकों के द्वारा खेती नहीं की जाती। इसके अलावा कानून में यह बात भी होनी चाहिये कि यदि किसी गांव के ज़मीन के मालिक और काश्तकारों में से ज्यादातर गांव की ज़मीन पर सहकारी ढंग से खेती-बाड़ी करना चाहें, तो सारे गांव पर उनका फैसला लागू हो।

बात यह है कि गांव की सारी ज़मीन और साधनों को इस तरह से बढ़ाया जाय कि सारे गांव वालों को फायदा हो। सारी बातों का निपटारा राज्य

में प्रचलित कानूनों से किया जाएगा। ज्यों-ज्यों अधिक अच्छे उपायों से काम लिया जायगा और खेती के अलावा दूसरे धंधे चालू हो जायेंगे, त्यों-त्यों सहकारिता का दायरा भी बढ़ता जायेगा। सहकारी ग्राम-व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि गांव राष्ट्रीय योजना की एक ऐसी इकाई हो जाये जो जीवनदायी, प्रगतिशील, और साथ ही स्वतंत्र हो जिससे कि सम्पत्ति, जात-पात और ऊंचाई-निचाई की धारणाओं से उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक विषमतायें दूर हो जायें।

१९५१ की जन-गणना में देहात में रहने वालों की संख्या २९ करोड़ ५० लाख दिखलाई गई थी, जिनमें २४ करोड़ ९० लाख खेती पर बसर करने वाले थे। इनमें से १८ फी सदी खेतिहर मज़दूर और उन पर निर्भर दिखाये गये हैं। खेतिहर मज़दूरों में भी दो किस्में हैं, एक तो वे जो गैर-मुस्तकिल मज़दूर हैं और दूसरे मुस्तकिल मज़दूर। कुल ऐसे मज़दूरों में ८९ फी सदी गैर-मुस्तकिल हैं। भूमि सुधार, गांव का सहकारी ढांचे पर संगठन, देहात के धंधों का विकास तथा नये काम-काज से ज़रूर ही खेतिहर मज़दूरों को फायदा पहुँचेगा। पंचवर्षीय योजना में पिछड़े हुये लोगों के लिये जो खास व्यवस्था है, उससे भी इन्हें फायदा रहेगा। केन्द्रीय सरकार की योजना में दो करोड़ रुपया विशेषकर इसलिये रखा गया है कि भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों को बसाया जाये। इसके अलावा देश में सभी जगह कम से कम मज़दूरी सम्बन्धी कानून को लागू किया जा रहा है।

पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये यह बहुत ज़रूरी है कि हमारी खुराक सम्बन्धी नीति सही और साफ हो। देश में कुछ सालों से कंट्रोल चालू है। तजुर्बे से मालूम हुआ है कि खुले बाज़ार पर निर्भर रहना उस समय गलत है जबकि देश में कम माल प्राप्त हो और विदेशों में प्रतिकूल घटनायें घट रही हों। इसलिये हद के अन्दर कंट्रोलों का रहना ज़रूरी है। फिर भी परिस्थितियों के बदलने के साथ सस्ते अन्न की दुकानें, व्यापारियों को लाइसेंस तथा गुदामों पर ज़रूरत के समय अधिकार आदि बचाव रख कर कंट्रोल ढीले किये जा सकते हैं।

अनाज की उपज में क्या बढ़ती हुई है, इसके आँकड़े पूरे नहीं हैं। उपज बढ़ाने के लिये छोटी-मोटी सिंचाई तथा भूमि सुधार के जो प्रोग्राम काम में लाये जा रहे हैं, उनका असर होते-होते कुछ देर लगेगी। हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में कितने अन्न की खपत है, इस सम्बन्ध में भी हर जगह अलग-अलग परिस्थितियां हैं। फिर भी यह तो साफ है कि पिछले कुछ सालों से बाहर से औसतन ३० लाख टन अन्न आता रहा है। १९४८ से ७५० करोड़ रुपये का अन्न आ चुका है। खाद्य के सम्बन्ध में हमारी नीति यह होनी चाहिये कि उपज बढ़े, गैर मुल्कों में बेचने लायक उपजों में बढ़ती हो और धीरे-धीरे ऐसी हालत पैदा कर दी जाय कि बाहर से अन्न मंगाने की ज़रूरत न रहे। इस बीच में राशनिंग और जिन इलाकों में उपज ज्यादा होती है उनसे शहरों तथा कम उपज वाले इलाकों के लिये अन्न की वसूली जारी रखी जाये।

प्रत्येक राज्य में अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक हद के ऊपर आबादी वाले कस्बों और शहरों में राशनिंग जारी रखा जाये, और इसी तरह से त्रावन्कोर-कोचीन की तरह कम उपज वाले इलाकों की देख-भाल और खबरदारी की जाये। अन्न पर कंट्रोल को अखिल भारतीय नीति के रूप में काम में लाया जाये। अधिक उपज वाले राज्यों से ज्यादा से ज्यादा अन्न वसूल किया जाये जिससे कि कम उपज वाले राज्यों का काम चले, साथ ही कम उपज वाले राज्यों पर इस बात का ज़ोर डाला जाये कि वे केन्द्रीय भांडार से उतना ही लें जितना लिये बगैर उनका गुज़ारा नहीं हो सकता। कंट्रोल को चालू रखने के लिये बहुत योग्य कर्मचारियों और अफसरों की ज़रूरत है, और इसी लिए शासन के मौजूदा ढांचे की तरक्की की जाय।

सारी दुनिया में चावल की कमी है, इसके अलावा बाहर से चावल मँगाने के लिये हमें बहुत ज्यादा दाम देना पड़ता है। इस लिये यह ज़रूरी है कि लोगों के खाने की आदत में तबदीली की जाय। देश में जितने चावल की ज़रूरत है, उसमें केवल दो या तीन फी सदी की कमी पड़ती है। यदि लोग चावल खाने की आदत में कुछ तबदीली करें तो यह समस्या हल हो सकती है।

खेती की अधिक उपज के लक्ष्य

योजना में अधिक उपज के लक्ष्य इस प्रकार रखे गये हैं :—

जिंस	मात्रा (लाखों में)	प्रतिशत बढ़ती
अन्न	७६ (टन)[1]	१४
रुई	१२.६ (गांठें)	४२
जूट	२०.९ (गांठें)	६३
गन्ना	७.० (टन)[2]	१२
तिलहन	४.० (टन)	८

ये लक्ष्य राज्य-सरकारों के साथ काफी सोच-विचार के बाद रखे गये हैं। उपज का कार्य-क्रम दो भागों में है, जो इस प्रकार है :—

(१) राज्य-सरकारों की योजनायें, जिन सबसे कुल ६० लाख टन अतिरिक्त अन्न पैदा करने की योजनायें बनाई गई हैं। इन पर कुल १२५ करोड़ रुपये की लागत बैठेगी;

और

(२) १६ लाख टन अधिक पैदावार के लिये आयोजन कमीशन द्वारा प्रस्तावित पूरक योजना। अगले पृष्ठ की तालिका में राज्यों के खेती की उपज के लक्ष्य दिये जा रहे हैं :—

---

[1] इस ७६ लाख टन अन्न में लगभग ४० लाख टन चावल होगा, २० लाख टन गेहूँ और १० लाख टन में चना व दालें होंगी और ५ लाख टन ज्वार-बाजरा होगा।

[2] गुड़ के रूप में।

राज्य	अनाज (हज़ार टन)	रुई (हज़ार गाँठें)	पटसन (हज़ार गाँठें)	गन्ना (हज़ार टन)	तिलहन (हज़ार टन)
'क' भाग :—					
आसाम	२५५.९	...	२२५	...	...
बिहार	७७५.९	...	३९०	५०	...
बम्बई	३७६.५	२७५	...	८७	१०
मध्य-प्रदेश	२८१.०	१७०	...	...	१०
मद्रास	८९०.०	१८०	...	८०	१००
उड़ीसा	२५९.६	...	२००	...	४
पंजाब	४६३.८	१५०	...	७०	४
उत्तर-प्रदेश	९८३.०	४०	२५०	४००	६१
पश्चिम-बंगाल	५५३.१	...	१,०००	...	५
'ख' भाग :—					
हैदराबाद	६२४.५	२००	...	...	१५०
मध्य भारत	१६८.१	९२	...	...	२५
मैसूर	९७.५	८	...	...	५
पेप्सू	१७०.५	८०	...	७	१
राजस्थान	१८६.०	५०	...	...	१६
सौराष्ट्र	८२.३	६	...	...	१
त्रावन्कोर-कोचीन	१३१.१	...	...	...	...

'ग' भाग :—					
अजमेर	१२.५	...	...	...	...
भोपाल	१०३.८	६	...	४.६	४
बिलासपुर	४.७	...	...	...	...
कुर्ग	३.०	...	...	...	...
दिल्ली	४.५	...	...	०.२	...
हिमाचल प्रदेश	४४.४	...	...	...	...
कच्छ	५.७	१	...	...	१
त्रिपुरा	२.३	...	२५	...	...
विंध्य प्रदेश	३०.४	...	...	१.२	३
कुल राज्य योजनायें	६,५१०.१	१२५८	२०९०	७००	४००
पूरक योजनायें	१,६००.०				
कुल जोड़	८,११०.१				
व्यापारिक फसलों की खेती में भूमि जाने से कमी	(–) ५००.०				
वास्तविक लक्ष्य	७६१०.१	१२५८	२०९०	७००	४००

व्यापारिक फसलों के सम्बन्ध में जो लक्ष्य तैयार किये गये हैं, वे इस आधार पर तैयार हुये हैं कि उनकी कीमतों का सम्बन्ध खाने-पीने की चीजों तथा अन्य फसलों की कीमतों के साथ जुड़ा हुआ है। योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसी फसलों में से किसी एक के दाम आदि में इस प्रकार से तबदीली करके तथा कन्ट्रोल ढीला करके ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने न दी जाये जिससे खेती की दूसरी उपजों के लक्ष्यों को पूरा करने में खतरा पैदा हो जाये।

सामूहिक विकास योजना वह उपाय है, और देहातों तक हमारे प्रोग्राम का फैलाव वह जरिया है जिससे कि पंचवर्षीय योजना को हमारे गांव के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बदलना है। कोई ३० साल से देहातों में विकास सम्बन्धी कुछ न कुछ काम होते रहे हैं। प्रत्येक सामूहिक योजना के लिये, जैसा कि इस समय उसे लागू किया जा रहा है, ३०० गांव हैं, जिसमें कुल मिलाकर ४५० से ५०० वर्ग मील, डेढ़ लाख एकड़ खेत तथा दो लाख आबादी आ जाती है। एक-एक योजना को तीन विकास टुकड़ियों में बाँटा गया है, जिनमें एक-एक में सौ गांव और ६० से ७० हज़ार आबादी आती है। इस विकास टुकड़ी को पांच गाँवों के हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से में देहाती सतह पर काम करने वाले एक कार्यकर्त्ता का दायरा होगा। १९५२ में जो प्रोग्राम चालू किया गया, उसके दायरे में डेढ़ करोड़ लोग आ गये। सामूहिक विकास योजना में ये काम उठाये जा रहे हैं:—खेती और उसके साथ के धन्धे, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक कार्य, घर बनाना, प्रशिक्षण और सामाजिक कल्याण। भारत सेवक समाज प्रोग्राम को चलाने में गांव वालों का सहयोग दिलाने में एक बहुत बड़ा अस्त्र सिद्ध हो सकता है। इसमें शक नहीं कि सामूहिक विकास योजनाओं में केन्द्र तथा राज्य सरकारों पर बहुत बोझ पड़ेगा। मोटे तौर पर एक बार होने वाले खर्चों में केन्द्र ७५ फ़ी सदी और राज्य २५ फ़ी सदी तथा बार-बार होने वाले खर्चों में केन्द्र ५० फ़ी सदी और राज्य ५० फ़ी सदी खर्च उठायेंगे।

'अधिक अन्न उपजाओ' जांच कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था कि ऐसा बड़ा राष्ट्रीय संगठन बनाया जाये जिसके द्वारा हरेक किसान तक पहुँचा जा सके और देहात विकास का काम किया जा सके, और जो देहात के विकास

में हाथ बटावे । पंचवर्षीय योजना के समय में कुल मिला कर कोई १ लाख १० हज़ार गांवों को याने देहाती आबादी के एक चौथाई भाग को देहात में सुधार-विस्तार के प्रोग्राम में लाया जायगा। ऐसा कर लेने पर देहात में जाग्रति बढ़ेगी और खेती की उपज बढ़ेगी। कार्यकर्ताओं को ट्रेनिङ्ग देकर देहाती समस्याओं तथा किसानों के रंग-ढंग से जानकारी कराई जायेगी। इन कार्यकर्ताओं को यह बात समझ लेनी चाहिये कि खुद गांव वालों से ही नेता ढूंढ निकालना है, और वे इस बात को समझें कि वे उसी हद तक सफल होंगे जिस हद तक गांव वाले उन पर विश्वास करते हैं। इन कार्यकर्ताओं को ऐसे खोज करने वाले कार्यकर्ताओं की भी मदद मिलनी चाहिये, जिनके पास वे अपनी विशेष समस्याओं को लाकर उन्हें सुलझवा सकें।

योजना में इस बात पर खास ज़ोर दिया गया है कि सहकारी समितियों तथा ऐसी संस्थाओं को बनाया जाये जिनके ज़रिये से तकावी कर्जा आदि दिया जाय। उद्देश्य यह होना चाहिये कि राज्यों में ऐसे प्रोग्राम तैयार हों जिनसे किसानों को अपनी खेती की उन्नति के लिये कर्ज़ मिल सके। हर साल कुल १०० करोड़ रुपया सहकारी समितियों द्वारा तथा सरकार से गांव वालों को थोड़े समय के कर्ज़ के रूप में मिलना चाहिये। इसका मतलब यह है कि इस वक्त जितना मिलता है उससे तिगुना मिले। मध्यम दर्जे के कर्ज़ के रूप में हर साल २५ करोड़ रुपया मिलना चाहिये। रिज़र्व बैंक कानून को इस प्रकार से सुधारा जा रहा है कि वह इसमें हाथ बटा सके। खेती के लिये लम्बे समय के कर्ज़ के रूप में पांच करोड़ रुपये की रकम रखी गई है।

बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश और हैदराबाद में नियमित बाज़ार स्थापित किये गये हैं। राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया जा रहा है कि वे इस सिद्धान्त को सब बड़े बाज़ारों पर लागू करें और नियमित बाज़ारों की व्यवस्था में खेती के माल उत्पन्न करने वालों को असरदार जगह दी जाय।

भारत में पशु धन का १० प्रतिशत बेकार और अनुत्पादक है, इसलिये पशुओं के चारे पर दबाव घटाने के लिये योजना में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि एक करोड़ के मूल्य पर १६० गौशाले बनाये जायें। बूढ़े और

बेकार जानवरों को ऐसे इलाकों के गौशालों में रखा जायगा जिनमें चरने की सुविधा है। पशुओं की नसल और उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिये तीन करोड़ रुपये की एक छोटी योजना इस योजना में आ जाती है। कोई ६०० केन्द्र खोले जायेंगे जिनमें एक-एक में तीन या चार गांव होंगे। ये देश में सब जगह फैले होंगे। रद्दी किस्म के बैलों को बधिया बनाया जायगा, और कुछ चुने हुये सांडों से ही नसल जारी रखी जायगी। इसके साथ ही वंश परम्परा और दूध देने का रिकार्ड भी रखा जायगा। इन केन्द्रों में बनावटी तौर से गर्भ धारण का कार्य भी किया जायगा। योजना के सालों में पशुओं के अस्पतालों और दवाखानों की संख्या २,००० से २,६०० हो जायगी। इसके अलावा माता रोग (रिंडरपेस्ट) को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार की एक अलग योजना तो है ही। ऊन की उन्नति के लिये उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण में तीन केन्द्र खोले जा रहे हैं।

मुर्गीखानों के विकास के लिये बहुत से राज्यों की योजनाओं में व्यवस्था है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्था में मुर्गीखानों के रोगों पर बहुत सी खोजें हो रही हैं। अच्छी नसलों की मुर्गी पैदा करने के प्रोग्राम को गांव में अच्छी तरह फैलाना है।

भारत में एक गाय औसतन ४१३ पौंड दूध देती है और यह दूसरे देशों के मुक़ाबले में बहुत थोड़ा है। इसलिये यहां एक आदमी को औसतन सिर्फ ५.५ औंस दूध मिलता है। योजना में यह सिफारिश की गई है कि हर शहरी इलाके में एक दूध कमेटी हो, जो शहर के आस-पास के इलाकों में सहकारी समितियों के ज़रिये से दूध का उत्पादन संगठित करे, दूध की जाँच करे तथा हर तरीक़े से दूध की समस्याओं पर काम करे। ऐसा समझा जाता है कि दूध देने वाले जानवरों को म्युनिसिपैलिटियों से निकाल कर आस-पास के देहाती इलाकों में रखा जायगा।

फल-फलहरी, तरकारियों तथा सब्ज़ियों की पैदावार बढ़ाने के लिये भी ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक उपायों को गांवों तक पहुँचाने की सिफारिश की गई है। फल और सब्ज़ियों के विकास के लिए एक बोर्ड कायम करने की सिफा- की गई है।

ऐसा अन्दाज़ा किया जाता है कि जंगलात २३०,७८९ वर्गमील पर फैले हुए है जो कुल ज़मीन का १८ प्रतिशत है। दूसरे देशों के मुकाबले में यह बहुत कम है। फौरन ही उन इलाकों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिनके जंगल अभी काटे गए हैं। इसके अलावा उन जंगलात पर भी विशेष ध्यान देना है, जिन पर ठीक देख-रेख नहीं रखी गई थी, जैसे वे जंगलात जो अभी तक ज़मींदारों के कब्ज़े में थे और अब राज्य सरकारों के कब्ज़े में आये हैं। भूमि के कटाव को रोकने के लिए जंगल लगाना है। इसके अलावा नहरों, सड़कों और रेल लाइनों के किनारे पेड़ लगाने हैं। गाँव के इर्द-गिर्द भी पेड़ होने चाहियें जिससे ईंधन और इमारती लकड़ी मिल सके। यह आशा की जाती है कि योजना के खत्म होते-होते १८ लाख टन से इमारती लकड़ी बढ़ कर २० लाख टन हो जायगी यानी कोई ११ प्रतिशत बढ़ जायगी। दियासलाई की लकड़ी, प्लाई वुड, काग़ज़ उद्योग, और जंगलात की बहुत सी अन्य उपज जैसे लाख, चमड़ा रंगने का सामान, गोंद और राल, जड़ी-बूटी आदि के लिये भी जंगल की ज़रूरत है।

यह सिफारिश की जाती है कि हरेक राज्य में भूमि के उपयोग और ज़मीन की रक्षा के लिये एक बोर्ड कायम किया जाय जो भूमि की रक्षा के सम्बन्ध में कार्रवाइयां करे। योजना में केन्द्रीय सरकार ने भूमि रक्षा के प्रोग्रामों के लिए दो करोड़ रुपया रखा है। केन्द्र में भी भूमि उपयोग तथा ज़मीन की रक्षा के लिए एक संगठन होना चाहिए। राजस्थान की मरुभूमि को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जोधपुर में एक खोज संस्था होनी चाहिए तथा पहली बात तो यह होनी चाहिए कि बढ़ती हुई मरुभूमि की पहली रोकथाम करने के लिए पेड़ों का एक सिलसिला लगाया जाय।

अन्न की पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ मछलियों की पैदावार बढ़ाने के सुझाव रखे गए हैं। यह सिफारिश की गई है कि गांव में हमारे सुधार कार्यों के फैलाव में मछलियों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक जानकारी का प्रचार होना चाहिए और खेती के स्कूलों तथा कालेजों में मछलियों की पैदावार बढ़ाने के तरीकों की शिक्षा देनी चाहिए। देश के अन्दर मछलियों की पैदावार बढ़ाने के अलावा समुद्रों में मछलियों का पकड़ना संगठित किया जायगा और इसके लिए मछुओं को सब तरह की सुविधा दी जायगी। उनको अच्छे दाम मिलें और

पूंजी की सहायता मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। ऐसा समझा जाता है कि पंचवर्षीय योजना में हम इस बारे में जो कुछ कर पायेंगे, उससे मछली की पैदावार १९५०-५१ में १० लाख टन से १९५५-५६ में १५ लाख टन यानी डेढ़ गुना हो जायगी।

बँटवारे से पहले भारत में ७ करोड़ २० लाख एकड़ ज़मीन पर ही सिंचाई होती थी, यद्यपि खेती २९ करोड़ ८० लाख एकड़ों पर होती थी। दूसरे शब्दों में केवल २४ प्रतिशत खेतों में ही सिंचाई होती थी। बंटवारे के बाद भारतीय संघ में सिंचाई वाला इलाका १९ प्रतिशत याने २५ करोड़ १० लाख एकड़ में से ४ करोड़ ८० लाख एकड़ ही पाया गया। इससे भारत की खुराक की हालत बिगड़ गई। ऐसा समझा जाता है कि अगर अनाज की सयस्या को सुलझाना है तो आने वाले १५ या २० सालों में सिंचाई के इलाकों को दुगना करना पड़ेगा; साथ-ही-साथ वैज्ञानिक ढंग पर ज्यादा से ज्यादा खेती करनी पड़ेगी। गत कुछ सालों में कुछ सिंचाई सम्बन्धी काम चालू रहे हैं। इस सम्बन्ध में जो योजनायें चालू हैं, उनके पूरा किए जाने में ७६५ करोड़ रुपये लग जायेंगे। इसमें से मार्च १९५१ तक १५३ करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। पंचवर्षीय योजना के पाँच सालों में इन योजनाओं पर ५१८ करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह आशा की जाती है कि योजना के आखिरी साल में इन योजनाओं के कारण पहले से ८५ लाख एकड़ों की अधिक सिंचाई होगी, और १० लाख ८० हज़ार किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। सारी योजनायें पूरी होने पर १६९ लाख एकड़ों पर सिंचाई होगी और १४ लाख ६० हज़ार किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। इन पर हर साल जो खर्च होगा, और उनसे जो लाभ होगा वह इस प्रकार है :

वर्ष	खर्च (करोड़ों में)	सिंचाई में बढ़ती (एकड़ों में)	बिलली की पैदावार में बढ़ती (किलोवाट)
१९५१-५२	८५	६४६,०००	५८,०००
१९५२-५३	१२१	१,८९०,०००	२३९,०००
१९५३-५४	१२७	३,५५५,०००	७२४,०००
१९५४-५५	१०७	५,७४९,०००	८७५,०००
१९५५-५६	७८	८,५३३,०००	१,०८२,०००
अन्त में		१६,९४२,०००	१,४६५,०००
नई योजनाएँ	४०		
पाँच साल का जोड़	५५८		

इनके अलावा नई योजनाओं के लिए ४० करोड़ की रकम अलग रखी गई है। इनके सम्बन्ध में ब्यौरा इस प्रकार है :—

योजना का नाम	लाभ पाने वाला क्षेत्र	कुल अनुमानित खर्च	सिंचाई (हजार एकड़ों में)	अन्तिम लाभ बिजली की पैदावार (हजार किलोवाट में)
कोसी (पहली अवस्था)	बिहार तथा नैपाल	६,६००	२,६२०	४० बाढ़ों को रोकथाम भी
कोयना (पहली अवस्था)	बम्बई	३,३००	—	२४०
कृष्णा	मद्रास तथा हैदराबाद	प्राप्त नहीं	—	प्राप्त नहीं
चम्बल (पहली अवस्था)	मध्यभारत तथा राजस्थान	३,३७५	१,२००	८०
रिहन्द	उत्तर प्रदेश	३,५००	—	२४०

योजना को तैयार करने में ऐसे कामों को महत्व दिया गया है जो जल्दी फायदा पहुँचाने वाले हैं। यह समझा जाता है कि सिंचाई और बिजली पैदा करने की योजनायें पाँच साल से आगे भी चलेंगी, नहीं तो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। सच तो यह है कि इसके लिए १५ साला योजना चाहिए। पंचवर्षीय योजना में आठ ऐसी योजनायें हैं जिनमें ५ करोड़ रुपये से ऊपर, १६ ऐसी योजनायें हैं जिनमें एक करोड़ से पांच करोड़ रुपए तक, २१ ऐसी योजनायें हैं जिनमें ५० लाख से एक करोड़ रुपए तक और २७ ऐसी योजनायें हैं जिनमें १० लाख से ५० लाख रुपए तक खर्च आएगा। इसी से यह समझा जा सकता है कि कितना बड़ा काम हमारे सामने है। सिंचाई की योजनाओं से बिजली भी पैदा होगी, जिससे उद्योग-धंधा और खेतीबाड़ी को और इस प्रकार जनता के रहन-सहन के मानदण्ड को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

घरेलू और छोटे पैमाने के उद्योग

देहात विकास के प्रोग्रामों में गांवों के उद्योगों का प्रमुख स्थान है। इसलिये इनके विकास को भी खेती की उपज बढ़ाने के समान ही प्राथमिकता दी जानी चाहिये। जिन कारणों से गांवों के उद्योगों का विकास रुका रहा उनको दूर करना चाहिये। स्थानीय मांग के आधार पर गांवों के उद्योग बहुत अच्छी तरह पनप सकते हैं। गांवों के संगठन को अपनी नई ज़िम्मेवारियों के लिये जिनमें सभी मज़दूरों को काम देना भी शामिल है, फिर से अपना गठन करना होगा। स्थानीय उद्योगों के विकास की ज़िम्मेवारी गांवों के संगठनों को अपने ऊपर लेनी चाहिये। इसके साथ ही आल इंडिया इण्डस्ट्रीज़ एसोसियेशन और आल इंडिया बुनकर एसोसियेशन जैसी संस्थाओं की भी मदद की जानी चाहिये।

गांवों के उद्योगों के प्रोग्रामों को सरकार के बढ़ावे और हिदायत की ज़रूरत है। यद्यपि प्रारम्भिक ज़िम्मेवारी राज्य सरकारों की है, परन्तु प्रोग्रामों का ढांचा केन्द्रीय सरकार ही निश्चित करती है। इसलिये यह ज़रूरी है कि केन्द्रीय सरकार एक संगठन बनावे जो गांवों के उद्योगों और उनके मसलों पर विचार करे। केन्द्रीय सरकार जल्दी ही एक खादी और ग्राम्य उद्योग विकास बोर्ड बनाने जा रही है जिसमें सरकारी विभागों का कोई दखल नहीं होगा और इसमें ज्यादातर खादी और ग्राम्य उद्योगों में काम करने वाले कार्यकर्ता ही रहेंगे।

इस बात की सब से बड़ी ज़रूरत है कि प्रत्येक घरेलू उद्योग के लिये एक क्षेत्र निश्चित किया जाय। जहां बड़े पैमाने के उद्योग की किसी घरेलू

उद्योग से होड़ हो, वहाँ खास ध्यान दिया जाय और उत्पादन का एक मिला-जुला प्रोग्राम बनाया जाय। उत्पादन के मिले-जुले प्रोग्राम में उद्योग पर सरकार का थोड़ा बहुत कण्ट्रोल तो रहेगा ही। यह उसूल माना जा चुका है। उदाहरण के लिये कपड़ा उद्योग में ऐसा किया जा चुका है, और खादी तथा करघे के कपड़े के विकास के लिये धन प्राप्त करने की गरज़ से मिल के कपड़े पर हाल ही में एक उप-कर लगाया गया है।

विभिन्न तरीकों से दी गई राज्य-सहायता का लाभ थोड़े दिनों तक ही रहेगा यदि घरेलू और छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादन के तरीके में शीघ्रता से सुधार नहीं होता। नये तरीकों और नये औज़ारों के बारे में खोज-बीन होनी चाहिये। देहात के कारीगर शीघ्रता से नये औज़ारों का इस्तेमाल करने लगें, इस गरज से ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का सुझाव दिया गया है। योजना में घरेलू और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये केन्द्रीय सरकार के बजट में १५ करोड़ रुपये और राज्यों के बजट में १२ करोड़ रुपये रखे गये हैं। देहाती कारीगरों को रुपये पैसे की काफी सहायता मिल सके, इस गरज़ से राज्यों में औद्योगिक सहकारी समितियों के बनाने पर ज़ोर दिया गया है। योजना में १० देहाती उद्योगों—देहाती तेल उद्योग, नीम के तेल का साबुन बनाना, धान कूटना, ताड़ से गुड़ बनाना, गुड़ और खंडसारी, चमड़ा, कम्बल बनाना, हाथ से कागज़ बनाना, मधु-मक्खी पालन और घरेलू दियासलाई उद्योग के लिये विकास प्रोग्राम हैं।

गांवों के उद्योगों के अलावा कुछ छोटे-छोटे उद्योग और भी हैं। कुछ तो परम्परा से चली आई कारीगरी से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ हाल ही में पनपे हैं। गांवों के उद्योग अभी शुरू हालत में ही हैं, लेकिन देहातों में बिजली पहुँच जाने पर इनका कायापलट हो जायगा। हमें टेक्नीकल सुधार की बड़ी ज़रूरत है। जहाँ घरेलू उद्योगों के उत्पादन की मांग पैदा करने और बनाये रखने पर जोर दिया जाना चाहिए वहां उतना ही ज़ोर इनके उत्पादन के तरीकों के बदलने पर भी दिया जाना चाहिए।

पढ़े-लिखे और योग्य लोगों को काम देने के कारण छोटे-छोटे उद्योगों का अपना महत्त्व है। कुछ छोटे उद्योगों और दस्तकारियों का इस कारण

भी महत्त्व है कि उनमें स्त्रियों को घर बैठे ही काम मिल जाता है। लड़ाई के दिनों में पैदा हुये कितने ही छोटे-छोटे उद्योग या तो खत्म हो गये या बुरी हालत में हैं। कच्चे माल का न मिलना, मांग का ठीक न रहना और बढ़िया किस्म का माल तैयार करने में असमर्थ होना इसका मुख्य कारण है। सरकार की मदद और पथ-प्रदर्शन के बिना ही छोटे-छोटे उद्योग काफी आगे बढ़ गये हैं। अभी तक इस बारे में कोई निश्चित नीति नहीं थी। अब इस को हाथ में लिया गया है और ऊनी माल, खेल के सामान, खेती के औज़ार आदि के बारे में प्रोग्राम बनाये जा रहे हैं।

दस्तकारियों का व्यापार ज्यादातर छोटे-छोटे पैमाने पर व्यापार करने वालों के हाथ में है जो कि आर्डर पर काम करते हैं। वर्तमान ढर्रे पर चलते रहने से ये उद्योग अधिक नहीं पनप सकते। अगर कोशिश की जाय तो इन चीज़ों की विदेशी मांग बहुत बढ़ सकती है। विदेशी ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में रख कर यदि उत्पादन-प्रोग्राम बनाया जाय तो दस्तकारी की वस्तुओं की अच्छी खपत हो सकती है। उनके उत्पादन के तरीकों में भी सुधार की गुंजाइश है। यदि इन उद्योगों की वस्तुयें बेचने वाले एम्पोरियम मांग और नई-नई डिज़ाइनों के बारे में कारीगरों को सूचना भी देते रहें तो इससे काफी फायदा हो सकता है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों का भारतीय उत्पादकों और विदेशी खरीदारों के बीच एक कड़ी का काम करना भी बहुत लाभदायक होगा। हाल ही में इसी उद्देश्य के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक दस्तकारी बोर्ड भी बनाया है।

कारीगर छोटे पैमाने पर और बिना दूसरों से कोई सम्बन्ध रखे कार्य करता है। न तो अधिक सहकारी समितियां ही बनाई गई हैं और न कारीगरों की एक जैसी समस्याओं पर कोई प्रतिनिधि संस्था ध्यान ही देती है। राज्य के उद्योग विभागों को इस प्रकार की सहकारी समितियां और संस्थायें बनानी चाहियें और इस दिशा में काम आगे बढ़ाना चाहिये।

यह ज़रूरी है कि देश के अनेक भागों में बहुत-सी संस्थायें स्थापित की जाँय जो दस्तकारी के विभिन्न पहलुओं पर खोज-बीन करें। डिज़ाइनों के तैयार करने और उनकी खोज-बीन के लिये एक केन्द्रीय संस्था बनाने की

सम्भावना पर केन्द्रीय सरकार को विचार करना चाहिये। छोटे उद्योगों में बिजली से चलने वाले नये उद्योग भी हैं और हाथकर्घे, ताले, और बर्तन बनाने के पुराने उद्योग भी। छोटे उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों से होड़ लेनी पड़ती है। इनको धन, संगठन, ट्रेनिंग और संरक्षण की ज़रूरत है।

घरेलू और छोटे पैमाने के उद्योगों के बढ़ाने में सरकार द्वारा खरीदारी के बारे में केन्द्रीय सरकार हाल ही में अपनी नीति की घोषणा कर चुकी है। छोटे पैमाने के उद्योगों का क्षेत्र बढ़ाने की गरज़ से यह सुझाव रखा गया है कि विभिन्न पेशों के व्यापारी और जानकार इस बात पर गौर करें कि घरेलू और छोटे पैमाने के उद्योगों की वस्तुयें कहां तक और किस रफ़्तार से उन ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं जो अब तक बाहर से आने वाली वस्तुयें करती रही हैं। औद्योगिक उत्पादन के नये केन्द्र बनने से छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये नये रास्ते खुल गये हैं। विस्थापित व्यक्तियों के लिये बसाये गये नये नगरों में छोटे पैमाने के उद्योगों का एक नया ही तजुर्बा हुआ। उन नगरों में इनकी सफलता को देख कर केन्द्रीय सरकार के प्रोग्रामों में नये नगर बसाना एक खास मद है।

योजना में ट्रेनिंग, खोज और धन के मसलों का भी ज़िक्र है। ट्रेनिंग के बारे में यह सुझाव दिया गया है कि उन पेशों की तरफ ही खास तौर पर गौर किया जाय जहाँ स्थायी काम मिलने की आशा है। नये तरीकों और डिज़ाइनों की हिदायतें देने के लिये नुमाइशों का भी उपयोग किया जाना चाहिये। अन्त में इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि छोटे-छोटे उद्योगों का, जिनके लिये योग्यता, ट्रेनिंग और शक्ति की आवश्यकता है, मूल उद्योगों से गहरा सम्बन्ध है जिनमें कि मशीनरी का बनाना भी शामिल है। इस प्रकार के छोटे-छोटे उद्योगों के विकास में टेक्नीकल शिक्षा की प्रगति का भी बड़ा हाथ है।

अन्य उद्योग-धन्धे, यातायात और डाक-तार की सुविधाएँ

यद्यपि पंचवर्षीय योजना में खेती के विकास, विशेषकर सिंचाई और बिजली उत्पादन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, फिर भी उद्योग-धन्धों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात यह भी है कि खेती में लोगों की जितनी उत्पादकता है, उद्योग-धन्धों में मज़दूरों की उससे अधिक उत्पादकता है। इससे भी यह बात साबित होती है कि औद्योगिक विकास पर ज़ोर देना चाहिये। अब तक औद्योगिक विकास में उपभोग की चीज़ों के उत्पादन पर ज्यादा ज़ोर था। और यहीं पर मशीनी उत्पादन पर कम ज़ोर था। हमें विभिन्न धन्धों में जितनी कलों की ज़रूरत है, उनमें से केवल कपड़े की मिलों के धन्धों में लगने वाली कलों को बनाने के काम की कुछ शुरूआत हुई है। बिजली उत्पादन की सारी मशीनों को विदेश से ही मँगाना पड़ता है। उद्योग-धन्धों के बारे में सरकार की नीति क्या है, यह १९४८ के अप्रैल के एक प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है। कुछ धन्धे, जैसे हथियार और उनके लिये गोला बारूद आदि, एटम शक्ति का नियंत्रण और रेलें, संपूर्ण रूप से सरकार के हाथों में रखे गये हैं। कोयला, लोहा, इस्पात, हवाई ज़हाज़ों का उत्पादन, जहाज़ बनाना, टेलीफोन, टेलीग्राफ, और बेतार के यन्त्र, खान से उत्पन्न तेल—ये सब राज्य की ज़िम्मेदारी होगी, पर इसमें निजी व्यवसाय का सहयोग बहुत ज़रूरी समझा गया है। उनके अलावा बाकी सारे उद्योग-धन्धे निजी व्यवसाय पर छोड़े गए हैं। यह समझा गया है कि वर्तमान समय में मौजूद उद्योगों का राष्ट्रीयकरण या सरकार द्वारा संचालन कोई विशेष हितकर नहीं होगा, क्योंकि इस सम्बन्ध में हमारे जो उद्देश्य हैं वे सही ढंग के नियंत्रण से पूरे हो सकते हैं।

१९५१ के उद्योग-धन्धा कानून का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऊपर बताये हुये ढंग पर सरकार उद्योग-धन्धों को विकसित करा सके। देश की ज़रूरतों के देखते हुये योजना में यह भी तय किया गया है कि किन-किन धन्धों को अधिक महत्व दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में एक सूची तैयार की गई है। योजना में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीन औद्योगिक कार्यों के लिये ९४ करोड़ रुपये रखे गये हैं। इस समय सरकारी तौर पर जो उद्योग चालू हैं, उन्हें पूरा किया जायगा, और इस बात की व्यवस्था की गई है कि १९५५-५६ तक एक नया लोहा और इस्पात का धन्धा चालू कर दिया जायगा जिसमें अंदाज़न ३० करोड़ रुपये लगेंगे, और उसमें ६ साल में कुल मिला कर ८० करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस धन्धे के लिये सरकार १५ करोड़ रुपये देगी, और बाकी रकम देशी तथा विदेशी पूंजीपतियों से प्राप्त की जायगी। सरकारी तौर पर जो काम शुरू किये जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश मशीनों और कलों से सम्बन्ध रखते हैं, और वे ऐसे हैं जो तुरन्त की ज़रूरतों और साथ ही साथ भविष्य के आर्थिक विकास की दृष्टि से उपयोगी हैं। इस ९४ करोड़ रुपये के खर्चे के अलावा बुनियादी उद्योग-धन्धों के लिए, जिनमें परिवहन सम्बन्धी ज़रूरतों की पूर्ति करना है, ५० करोड़ रुपये और खर्च किए जायेंगे।

उद्देश्य यह होना चाहिये कि सरकारी तौर पर जो धंधे चलाए जायँ, उनमें उसी तरह से अपनी नीति आदि बदलने की सुविधा हो, जैसे निजी धंधों में रहती है। साथ ही उनमें अधिक टेक्नीकल योग्यता और जनता की आवश्यकता को देख कर चलने का माद्दा होना चाहिये। सरकारी अफसरों को काफी अधिकार होने चाहियें जिससे कि वे जल्दी-जल्दी फैसले कर सकें। यह तो है ही कि ये धंधे, जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, पर अपने रोज़मर्रे के प्रबन्ध में उन पर सरकारी देख-रेख नहीं होनी चाहिये, जैसा कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा चलाये गये कई धंधों में इस समय हो रहा है।

यह अन्दाज़ लगाया गया है कि निजी व्यवसायों के क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार के लिये कुल २३३ करोड़ रुपये की रक़म लगाई जाय। इनमें से ८० फी सदी पूंजी कलों तथा ऐसे धंधों में लगाई जायगी जिनसे उत्पादकों

का सम्बन्ध है। इनमें से मुख्य तो लोहा और इस्पात हैं जिनमें ४३ करोड़ रुपये लगेंगे, पैट्रोलियम की सफाई के कारखाने हैं जिनमें ६४ करोड़ रुपये लगेंगे, सीमेन्ट उत्पादन है जिसमें १३ करोड़ रुपये लगेंगे, एल्यूमीनियम में ९ करोड़ रुपये लगेंगे और रासायनिक खाद, उच्च रासायनिक पदार्थ, पावर अलकोहल आदि में कुल मिला कर १२ करोड़ रुपये लगेंगे।

उद्योग धन्धों के प्रोग्राम के लिए कमीशन ने नीचे लिखे अनुसार लक्ष्य रखे हैं:—

	उत्पादन (१९५०-१९५१ में)	उत्पादन का लक्ष्य (१९५५-१९५६ में)
लोहा और इस्पात:		
पिग आयरन (कच्चा लोहा)	१५.७ लाख टन	१९.५ लाख टन
तैयार इस्पात	९.८ ,, ,,	१२.८ ,, ,,
सीमेंट	२६.९ ,, ,,	४५.० ,, ,,
एल्यूमीनियम	३.७ ,, ,,	१२.० ,, ,,
रासायनिक खादें :		
अमोनियम सल्फेट	४६,३०० टन	४,५०,००० टन
सुपरफास्फेट	५५,१०० टन	१,८०,००० टन
रेल के इंजन	...	१५०
मशीनी औज़ार	१,१००	४,६००
पैट्रोलियम की सफाई:		
द्रव पैट्रोलियम	प्राप्त नहीं	४,०३० लाख गैलन
बिट्यूमेन	,,	३७,५०० टन
सूती माल :		
सूत	११,७९० लाख पौंड	१६,४०० लाख पौंड
मिल का कपड़ा	३७,१८० लाख गज़	४७,००० लाख गज़
हाथ करघे का कपड़ा	८,१०० ,, ,,	१७,००० ,, ,,
जूट का माल	८,९२,००० टन	१२,००,००० टन
खेती की मशीनें		
(क) पम्प (बिजली से चलने वाले)	३४,३००	८५,०००
(ख) डीज़ल इंजन	५,५००	५०,०००
बाइसिकलें	१,०१,०००	५,३०,०००
मद्य-सार	५० लाख गैलन	१८० लाख गैलन

विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में सरकार की मोटी नीति यह है कि जहां नये उत्पादन जारी हो रहे हों या जिन धंधों में खास तजुर्बा या टेक्नीकल योग्यता चाहिये या जिन क्षेत्रों में देश की उपज मांग से बहुत कम है, उन क्षेत्रों में उसे काम करने दिया जाय। वैदेशिक पूंजी को यह सुविधाएँ होंगी कि उसके साथ कोई भेद-भाव नहीं बरता जायेगा। पूंजी और मुनाफे को जिस देश से पूंजी आई है उसमें भेजने दिया जायगा और राष्ट्रीयकरण होने पर मुआवजा दिया जायगा।

१९३९ के बाद भारत में औद्योगिक उत्पादन कई कारणों से घट गया है जैसे मशीनों आदि की खराबी, अनियमित पूर्ति, कच्चे माल के गुण में गड़बड़ी, उद्योग की इकाइयों का ऐसा आकार जिसमें मुनाफा नहीं बैठता इत्यादि इत्यादि। पंचवर्षीय योजना में इन बातों को दूर करने के लिये देश में वैज्ञानिक खोजों पर विशेष ज़ोर दिया है, और इसके लिये देश में जहाँ-तहाँ वैज्ञानिक खोज सम्बन्धी संस्थाएँ स्थापित होती जा रही हैं। यूनिवर्सिटियों में खोज के कार्य को सरकारी प्रोत्साहन मिल रहा है। खास-खास साधनों के बारे में आँकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं, एक विषय के जानकारों के सम्मेलन हो रहे हैं और इस बात की कोशिश की जा रही है कि खोज और विज्ञान के क्षेत्र में अधिक से अधिक उन्नति हो।

उद्योगों को बढ़ाने के लिये जिन दो बुनियादी साधनों—कोयला और कच्चा लोहा—की ज़रूरत होती है, भारत में उनकी कमी नहीं। लेकिन तांबा, टीन, सीसा, जस्ता की कच्ची धातु और गन्धक और पैट्रोलियम की कमी है। अभी तक भारत में इन धातुओं को विदेश भेजने की दृष्टि से ही निकाला जाता था। इन्हें राष्ट्रीय सम्पत्ति का एक हिस्सा नहीं समझा जाता था। खनिज वस्तुएँ आजकल के उद्योगों की नींव हैं। चाहे लड़ाई हो या शान्ति इनके बारे में सोच-विचार कर नीति अपनानी चाहिये। इस नीति में साधनों की जांच-पड़ताल, खानों की उचित देख-भाल, गन्धक, टीन, टंग्स्टीन आदि महत्त्वपूर्ण धातुओं की खोज-बीन, खनिज वस्तुओं का विदेश भेजना आदि बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये।

कोयला ज्यादातर बिहार और पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। वह

मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हैदराबाद और आसाम में भी मिलता है। कोयले का ३१ प्रतिशत भाग रेलों में खप जाता है। आयोजन कमीशन ने कोयला उद्योग के बारे में विशेष सिफारिशें की हैं और १९५२ का कोयला खान (कन्जरवेशन एण्ड सेफ्टी) कानून इन्हीं सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। एक कोयला बीर्ड भी बनाया जा चुका है। अच्छी किस्म का कच्चा लोहा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास, बम्बई, गोआ और मैसूर में मिलता है। इसके बारे में ठीक जानकारी प्राप्त नहीं है। मैंगनीज़ का भारत एक प्रमुख उत्पादक है और मध्य प्रदेश में इसकी अच्छी खानें हैं। देश में इसकी खपत बहुत कम है। बढ़िया किस्म का मैंगनीज़ कम होने के कारण नीति पर दुबारा विचार किया जा रहा है। क्रोमाइट की खानें भारत में अधिक नहीं हैं। लोहे के अलावा दूसरी धातुओं में तांबे, सीसे और जस्ते की बहुत कमी है और टीन तो नहीं के बराबर ही है। बोक्साइट की खानें बम्बई, मध्य प्रदेश और बिहार में हैं। आधे उत्पादन से कुछ कम की खपत एल्यूमीनियम धातु के बनाने में हो जाती है। योजना में एल्यूमीनियम के उत्पादन को बढ़ाने की व्यवस्था है, जिससे इसकी मांग बहुत बढ़ जायगी। अभ्रक भारत के पास बहुत है। संसार की ८० प्रतिशत ज़रूरतें भारत पूरी करता है। बिहार में कुल उत्पादन का ६० प्रतिशत पैदा होता है। मद्रास और राजस्थान में भी मिलता है। इसके महत्त्व को देखते हुये योजना में इसके बारे में काफी सिफारिशें की गई हैं। सिन्दरी में रासायनिक खाद का कारखाना खुल जाने से खड़िया का महत्त्व भी बहुत बढ़ गया है। १९५० में इसका उत्पादन २०६,००० टन तक बढ़ गया। राजस्थान और दक्षिणी भारत में यह अधिक पाया जाता है। गन्धक की भारत में कोई बड़ी खान नहीं है। काश्मीर, शिमला, बम्बई और मैसूर में यह थोड़ा-थोड़ा पाया जाता है। योजना में इन सब धातुओं की अच्छी तरह जांचपड़ताल करने की सिफारिश की गई है।

सब सरकारी संगठनों के मिल कर काम करने पर जोर दिया गया है। इनके काम में तालमेल रखने के लिये प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मन्त्रालय ने एक टेक्नीकल समिति भी बना दी है जिसमें सब संगठनों के प्रतिनिधि हैं।

परिवहन और संचार के प्रोग्राम में कुल खर्च का एक बड़ा भाग रेलों पर लगेगा। रेलों की सबसे बड़ी ज़रूरत साज-सामान प्राप्त करने और टूटे-फूटे साज-सामान की जगह नया चालू करने की है। विदेशी निर्माताओं से छुटकारा पाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने १५ करोड़ रुपये की लागत से चितरंजन में एक कारखाना भी चालू किया है जहाँ जल्दी ही एक इंजन प्रति सप्ताह बनने लगेगा। सरकार ने टाटा लोकोमोटिव इंजीनियरिंग कम्पनी को भी धन की सहायता दी है। रेलवे योजना पर कुल ४०० करोड़ रुपये खर्च होंगे जिनमें से केन्द्र से ८० करोड़ रुपये दिये जायेंगे और बाकी रेलें अपने साधनों से पूरा करेंगी।

जहाज़रानी के लिये विकास प्रोग्राम के अनुसार १९५५-५६ तक विदेशी और समुद्री किनारे के व्यापार के लिये लगभग ६,००,००० टन के रजिस्टर्ड जहाज़ काम करने लगेंगे। योजना में जहाज़ी कम्पनियों को जहाज़ खरीदने के लिये १५ करोड़ के कर्ज़ की सिफारिश की गई है। बन्दरगाहों के विकास के बारे में भी सिफ़ारिश की गई है। जल्द ही कांडला बन्दरगाह भी काम करने लगेगी और जो माल पहले कराची से जाता था, वह काँडला से जाने लगेगा। कांडला पर करीब १२ करोड़ रुपया खर्च आयेगा।

पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सड़कों के विकास, जो सड़कें बन रही हैं उन्हें पूरा करने, ४५० मील लम्बी नई सड़कें बनाने और छोटे-छोटे बहुत से पुलों के अलावा ४३ बड़े पुल बनाने की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार की योजना में पांच वर्षों के अन्दर २७ करोड़ रुपया खर्च होगा। इसके अलावा और रुपया भी सड़कों पर खर्च किया जायगा।

शहरी हवाई जहाज़ यात्रा एक नया क्षेत्र है। यह देखा गया है कि इसमें काम करने वाली कम्पनियां मुनाफे के साथ काम नहीं कर पातीं। इसलिये इनको एक यूनिट में मिला देने की सिफारिश की गई है और कम्पनियों को मुआवज़े देने तथा नये हवाई जहाज़ खरीदने के लिये साढ़े नौ करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

डाक, तार और टेलीफोन के विकास प्रोग्रामों पर ५० करोड़ रुपया खर्च किया जायगा। इस प्रोग्राम में २,००० या इससे अधिक आबादी वाले

हरेक गांव में एक डाकखाना खोलने और बड़े शहरों में टेलीफ़ोन की सुविधा बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है।

पिछले कुछ दिनों से विदेशी व्यापार में काफ़ी घट-बढ़ होती रही है। विदेशों से अधिक अन्न मँगाने के कारण व्यापार का ताल-मेल ठीक नहीं रहा। योजना में इन बातों का काफी ध्यान रखा गया है। खेती की उपज बढ़ने से विदेशों का सहारा खत्म हो जायगा। रुई और पटसन की पैदावार बढ़ने से इनकी बनी वस्तुओं को और अधिक बाहर भेजा जा सकेगा। सीने की मशीनों, साइकिलों, बिजली के पंखों आदि का नया निर्यात होने लगेगा। दूसरी ओर विकास के इतने बड़े प्रोग्राम में आयातों का बढ़ जाना और विदेशी मुद्रा की कमी एक ज़रूरी बात है। इसलिये हमें यह ध्यान रखना है कि कहीं बढ़ते हुये आयात और विदेशी मुद्रा की कमी हमारी योजना पर बुरा असर न डालें। हमें अपनी निर्यात नीति यह ध्यान में रखते हुए बनानी होगी कि यह योजना में रखे गये उत्पादन और खपत के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद दे, निर्यातों का ऊंचा स्तर बना रहे और देश को विदेशी मुद्रा की कमी न पड़े और दूसरे देशों से ऐसे व्यापार सम्बन्ध बने रहें जिससे हमारे उद्योग और व्यापार खूब पनपें।

सामाजिक सेवायें और रोज़ी-रोज़गार

राष्ट्रीय उन्नति के लिए स्वास्थ्य बुनियादी बातों में से है। वर्तमान समय में देश का स्वास्थ्य बहुत गिरी हुई अवस्था में है। लोगों के पास न रहने के लिए स्वास्थ्यप्रद मकान हैं, न पीने के पानी का अच्छा प्रबन्ध है और न गन्दगी हटाने की सुविधायें प्राप्त हैं। अपूर्ण भोजन, दवा-दारू के प्रबन्ध की कमी, ग़रीबी आदि का नतीजा यह हुआ कि भारतीय समाज की रोगों का सामना करने की शक्ति कम हो गई है और राष्ट्र का स्वास्थ्य गिर गया है। देश में अभी तक अस्पताल इतने कम हैं कि सन् १९४९ में औसतन २४,००० शहरी आबादी के पीछे एक अस्पताल था और देहातों की दशा और भी पिछड़ी हुई थी, जहाँ ५०,००० आबादी के पीछे एक अस्पताल था।

स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना में नीचे लिखी बातों को प्राथमिकता दी जायगी :—

(१) पीने के पानी और गन्दी नालियों का प्रबन्ध, (२) मलेरिया की रोकथाम, (३) देहातों में बीमारियों की रोकथाम का प्रबन्ध, (४) माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान, (५) स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, (६) दवाई और चिकित्सा-साधनों के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता और (७) आयोजित परिवार तथा आबादी की वृद्धि पर रोकथाम।

स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारें ९९.५५ करोड़ रुपया ख़र्च करेंगी। इसमें से १७.८७ करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार देगी। इस धन में लगभग आधा दवा-दारू के कामों पर खर्च होगा और उस आधे का लगभग ४० प्रतिशत नये अस्पताल खोलने पर। चिकित्सा

सम्बन्धी शिक्षा देने के लिए एक अखिल भारतीय संस्था के अतिरिक्त आसाम, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, त्रावनकोर-कोचीन में नये मेडिकल कालेज खोले जायँगे। आशा है कि डाक्टरों, नर्सों आदि की दृष्टि से इस प्रकार उन्नति हो सकेगी :—

	१९५०-५१	१९५५-५६	प्रतिशत बढ़ती
डाक्टर	२,५०४	२,७८२	११.१
कम्पाउण्डर	८९४	१,६२१	८१.३
नर्सें	२,२१२	३,०००	३५.६
दाइयाँ	१,४०७	१,९३२	३७.३
वैद्य और हकीम	९१४	१,११७	२२.२

अस्पतालों की दृष्टि से बढ़ती इस प्रकार हो सकेगी :—

	१९५०-५१	१९५५-५६	प्रतिशत बढ़ती
अस्पताल	२,०१४	२,०६२	२.४
डिस्पेंसरियाँ (शहरी)	१,३५८	१,६९५	२४.८
,, (देहाती)	५,२२९	५,८४०	११.६
बीमारों के पलंग (अस्पतालों में)	१,०६,४७८	१,१७,२२२	१०.१
,, (शहरी डिस्पेंसरियों में)	२,०१३	२,२३३	११.४
,, (देहाती डिस्पेंसरियों में)	५,०६६	५,५८२	१०.२

भारत में मलेरिया बहुत अधिक है। उसकी रोकथाम पर लगभग १७ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा। इसी तरह बी० सी० जी० के टीके लगवाने को भी तरजीह दी जायगी।

देश की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसको उचित हद तक रखना ज़रूरी है। यह कोशिश की जायगी कि माँ-बाप अपनी सन्तान के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख सकें और इसके लिए उन्हें पूरी सुविधायें प्राप्त रहें। आबादी की बढ़ती हुई रफ्तार की रोकथाम के लिए लोगों को यह समझाया जायगा

कि देश की आबादी किस तेज़ी से बढ़ रही है और वे किस तरह अपने परिवार की संख्या को सीमित रख सकते हैं। केन्द्रीय सरकार ने इसी उद्देश्य से हाल ही में दो कमेटियां भी बनाई हैं।

एक प्रजातन्त्र में योजना की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसमें नागरिक कितनी दिलचस्पी लेते हैं और जनता का कितना उत्साह इसे प्राप्त होता है। इस उद्देश्य से योजना में लोगों को विशेष कार्यों की शिक्षा देने और जनता को उनकी ज़िम्मेवारी समझाने की शिक्षा पर खास ज़ोर दिया गया है। राष्ट्रीय प्रयत्न में शिक्षा के विस्तार को मुख्य स्थान दिया गया है।

हमारे देश की जितनी ज़रूरतें हैं, उनकी तुलना में हमारे प्राप्त साधन बहुत कम हैं। इस कारण प्राथमिकताओं के चुनाव का कार्य बड़े महत्त्व का बन गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में खास ज़ोर इन बातों पर दिया गया है : वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में नई ज़िन्दगी का संचार, शिक्षा का विस्तार—विशेषतः प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा का, हाईस्कूलों और कालेजों की शिक्षा में सुधार, स्त्री-शिक्षा का विस्तार, अध्यापकों को ट्रेण्ड कराना, अध्यापकों के वेतन की दरों में सुधार, पिछड़ी जातियों और पिछड़े राज्यों में शिक्षा का समुचित प्रबन्ध। अभी तक केन्द्रीय सरकार उच्च और विशेष शिक्षा के प्रबन्ध में ही दिलचस्पी लेती है। अब वह बुनियादी शिक्षा की कुछ योजनाओं में भी दिलचस्पी लेगी। जब आमदनी के साधन बढ़ जायेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में और भी अधिक दिलचस्पी ली जा सकेगी।

पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर १५१ करोड़ रुपया व्यय करने का प्रबन्ध किया गया है। इसमें से ३४ करोड़ केन्द्रीय सरकार देगी और ११७ करोड़ राज्यों की सरकारें। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार सामाजिक संस्थाओं को भी ४ करोड़ रुपयों की सहायता देगी। यह देखा गया है कि जनता शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में धन, शक्ति, भूमि, इमारत आदि की सहायता देना अपना कर्त्तव्य समझती है। केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारें इस तरह की कोशिशों में न सिर्फ पूरी दिलचस्पी लेंगी, बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी देंगी।

शिक्षा का क्षेत्र स्कूल जाने से भी पहले की उम्र में आरम्भ हो जाता है।

योजना में उस आयु से लेकर प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और यूनीवर्सिटियों की शिक्षा के बारे में सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है। स्त्रियों की शिक्षा के समुचित प्रबन्ध के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ७॥ करोड़ रुपया सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था पर व्यय करेगी। यह कोशिश की जायगी कि देश भर की सभी शिक्षा संस्थायें अपने यहां सामाजिक शिक्षा विभाग जारी करें। इनके अलावा योजना में शिक्षा सम्बन्धी इन बातों पर ज़ोर दिया गया है :

१. अनुसन्धान और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा का विकास, २. छापेखाने का व्यवसाय, ऊनी कपड़े तथा रेशमी कपड़े का व्यवसाय आदि के जानकार बनाने की संस्थाओं का प्रारम्भ, ३. व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षाओं में परस्पर तालमेल पैदा करने के लिये एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना, और ४. गाँवों के लिए ट्रेनिंग केन्द्रों की स्थापना।

योजना में एक करोड़ रुपया इस उद्देश्य से रखा गया है कि नौजवानों के कैम्पों तथा विद्यार्थियों की श्रम-सेवाओं का संगठन किया जा सके। यह सोचा गया है कि १८ वर्ष से लेकर २२ वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों के लिए लाजिमी किया जाय कि वे अपना कुछ समय राष्ट्रीय सेवाओं को अर्पित करें।

श्रम की समस्या को दो तरह से देखना चाहिए : एक तो मज़दूरों की भलाई का दृष्टिकोण और दूसरा देश की आर्थिक स्थिरता और उन्नति का दृष्टिकोण। यह ज़रूरी है कि मज़दूरों की बुनियादी आवश्यकतायें—भोजन, कपड़ा मकान—पूरी होनी चाहियें। उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन आदि का उचित प्रबन्ध होना चाहिए। उनके काम करने की हालतें स्वास्थ्यदायक होनी चाहियें और उन्हें न सिर्फ़ इन्सानियत का व्यवहार मिलना चाहिए, बल्कि अपने वैध संगठन का भी पूरा अधिकार होना चाहिए। मज़दूरों को इनमें से ज़्यादातर अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार प्राप्त हैं। भारतीय योजना में मज़दूरों के लिए जो सिफारिशें की हैं, उन्हें पांच भागों में बांटा जा सकता है :

१. व्यावसायिक सम्बन्ध, २. मज़दूरी तथा सामाजिक सुरक्षा, ३. काम

करने की हालतें, ४. रोज़ी-रोज़गार तथा काम की शिक्षा, और ५. उत्पादकता।

व्यावसायिक सम्बन्ध का वास्ता सबसे अधिक निजी क्षेत्र में पड़ता है। कमीशन की राय से मिल मालिक और मज़दूर का सम्बन्ध वास्तव में समाज की आर्थिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए साझीदारी का सम्बन्ध है। इसमें मज़दूर को पूरा सम्मान और सामाजिक महत्त्व मिलना चाहिए। इसलिए मालिक और मज़दूर को अधिक से अधिक निकट लाने की कोशिश होनी चाहिए। मज़दूरों का यह पूरा अधिकार है कि वे अपनी उन्नति के लिए अपने संगठन बना सकें। इसलिए ट्रेड यूनियनों को व्यावसायिक ढंग का अन्दरूनी भाग समझना चाहिए। अगर कभी मालिकों और मज़दूरों में कोई आपसी ग़लत फ़हमी पैदा हो जाए, या कोई ऐसा सवाल उठ खड़ा हो, जिसको वे खुद तय न कर सकें, तो कानूनी उलझनों में गए बिना उनमें आपसी समझौता कराने की कोशिश होनी चाहिए। इसलिए उचित ढंग के बीच-बचाव और एडजूडिकेशन का प्रबन्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इनके निर्णयों को मान्यता और महत्त्व देने का प्रयत्न होगा। झगड़ों को कम करने के लिए मालिक और मज़दूरों के कर्त्तव्यों की विस्तृत सूची बना दी जाएगी। मज़दूरों, मिल मालिकों, तथा मिल के अन्य कार्यकर्ताओं को आपस में एक दूसरे के अधिक से अधिक निकट लाने और सामाजिक सम्बन्ध स्थापित कराने का प्रयत्न किया जाएगा। मालिकों और मज़दूरों की मिली-जुली कमेटियाँ व्यवसाय की उन्नति और आपसी भलाई की बातों की देखभाल किया करेंगी। झगड़ों का निर्णय कराने के लिए मिली-जुली कमेटियां बनाई जायेंगी। मज़दूर अगर आपस में संगठित होंगे तो उनके संगठन द्वारा मिल मालिक किसी भी बात के सम्बन्ध में आसानी से किसी निर्णय पर पहुँच सकेंगे। जो मामले इन मिली-जुली कमेटियों में तय न हो पायेंगे, वे बीच-बचाव के लिए जाया करेंगे।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों का सम्बन्ध है, मज़दूरों के झगड़े अलग तरह के होंगे, क्योंकि सरकार का उद्देश्य नफ़ा कमाना नहीं है। इन व्यवसायों में प्रजा का भाग होने से एक मज़दूर स्वयं व्यवसाय का मालिक भी

है और एक श्रमिक के रूप में वह कारख़ाने का नौकर भी है । यह प्रयत्न किया जायगा कि इस क्षेत्र में भी मज़दूरों को निजी क्षेत्र में प्राप्त सुविधाओं की अपेक्षा कम सुविधायें न रहें ।

योजना की पूर्ति के लिए ट्रेड यूनियनों और मालिकों में पूर्ण सहयोग ज़रूरी है । यह कोशिश की जाएगी कि ट्रेड यूनियनें इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लें । उन्हें इस बात का मौका दिया जाएगा कि वे मज़दूरों की हर तरह की उन्नति और व्यवसाय के विकास के हित में अपना कार्यक्षेत्र भी बढ़ा सकें ।

पिछले सालों में चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं । साथ ही मालिकों की आमदनी और मज़दूरों की मज़दूरी में भी बढ़ती हुई है । अब यह ज़रूरी है कि योजना की पूर्त्ति के वर्षों के नफे और मज़दूरी पर देख-रेख रखी जाए । अधिक आमदनी पर जो टैक्स लगाए गए हैं, उसी तरह के टैक्स हिस्सों की आय पर भी लगाने चाहिएँ ताकि आय पर निगरानी रहे । दूसरी ओर इस समय मज़दूरी और तनख्वाहों में वृद्धि करने से देश की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचेगा । इससे बेकारी बढ़ने की भी सम्भावना होती है । फिर भी जहां अभी तक बहुत कम तनख्वाहें दी जाती हैं, उन्हें बराबरी पर लाने की कोशिश की जाएगी । इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त सामने रखा जाएगा कि व्यवसाय की आय तथा मज़दूरी में उचित नापतोल रखी जाए, तथा मज़दूरों की कम से कम मज़दूरी या तनख्वाह की दर पर निगरानी रखी जाए । बोनस के सम्बन्ध में क्या नीति बरती जाए, इस की भी छानबीन की जाएगी और पिछड़ी जातियों को ठीक-ठीक मज़दूरी दिलवाने की भरसक कोशिश होगी । इसके साथ ही साथ मज़दूरों की सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कोशिश को बढ़ावा दिया जाएगा । मुआवज़े और प्रोविडेण्ट फण्ड आदि की ओर यथेष्ट ध्यान दिया जाएगा ।

काम करने की हालतों में सुधार करना बहुत ज़रूरी है । इस उद्देश्य से भारत सरकार ने १९४८ तथा १९५१ में दो कानून भी बनाए हैं । यह प्रयत्न किया जाएगा कि देश भर में कारखानों की हालत सुधारी जाए ।

भारत की जनशक्ति का उचित उपयोग योजना की पूर्त्ति के लिए सब से अधिक आवश्यक है। इस सम्बन्ध में एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों के कार्य की छानबीन आवश्यक है। जनशक्ति की ठीक-ठीक जांच कर के उस की सूचियां हमें बना लेनी चाहिएँ और तब प्रत्येक व्यवसाय के लिए हमें अधिक से अधिक कर्मचारियों को योग्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह प्रयत्न किया जायगा कि देश की ज़रूरत के मुताबिक जिस हद तक विभिन्न व्यवसायों का विकास किया जाए, उसी हद तक मज़दूरों को विभिन्न व्यवसायों के योग्य बनाया जाए। कुछ मिल मालिकों का यह ख्याल है कि भारतीय व्यवसायों की उत्पादकता कम हो रही है। मज़दूर इस बात से सहमत नहीं हैं। यह प्रयत्न किया जाएगा कि व्यवसायों की उत्पादकता अधिक से अधिक बढ़े और इस उद्देश्य से कर्मचारियों को ठीक-ठीक शिक्षा देने की कोशिश जारी रहेगी।

मकानों की कमी की समस्या को हल करने के लिए ये सुझाव पेश किए गए हैं : इस सम्बन्ध में एक निश्चित नीति बनाना, मकानों का दर्जा नियत करना, गन्दी बस्तियों को साफ करना, शहरों का फैलाव, देहाती मकानों का निर्माण, भवन निर्माण सम्बन्धी खोज और इस सब के सम्बन्ध में आवश्यक कानून बनाना। ३७ बड़े शहरों से जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, उन से पता चलता है कि बड़े व्यवसायों में काम करने वाले ४ या ५ लाख मज़दूरों के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। सन् १९५१ की जन-गणना के अनुसार भारत के ७४ बड़े नगरों की आबादी में पिछले १० वर्षों में ७४ लाख की बढ़ती हुई है, तथा भारत के कस्बों और छोटे शहरों की आबादी में १४० लाख की बढ़ती हुई है। इसी का यह नतीजा हुआ है कि शहरों में मकानों की बहुत तंगी हो गई है।

योजना में ४८.६९ करोड़ रुपया नए मकानों के लिए रखा गया है, जिस में से ३८.५ करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार देगी और १०.१९ करोड़ रुपया राज्यों की सरकारें। व्यावसायिक क्षेत्रों को इस सम्बन्ध में तरजीह दी जाएगी। इसके साथ ही गांवों में अच्छे आदर्श मकान बनाने पर खास ज़ोर दिया जाएगा। मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता तथा कर्ज़ देने के उपाय भी काम में लाए जाएंगे। मिले-जुले तौर पर मकान बनाने वालों को

इस सम्बन्ध में प्राथमिकता दी जाएगी। यह प्रयत्न किया जाएगा कि (१) छोटे शहरों में भी नए मकानों के बनाने पर पूरी निगरानी रखी जाए, ताकि अच्छे मकान बनें, (२) स्थानीय कार्यकर्ताओं को गन्दी बस्तिओं की सफाई में भरसक सहायता दी जाए, और (३) देहातों में अच्छे मकान बनाए जाएं और यह प्रयत्न किया जाए कि उन का निर्माण जहां तक हो सके स्थानीय सामग्री से किया जाए।

सामाजिक सेवा की ज़रूरत खास तौर पर इन क्षेत्रों में है : स्त्री-समाज, बच्चे, नौजवान, परिवार, अपेक्षाकृत कम विकसित अथवा शारीरिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र।

इस काम के लिए ४ करोड़ रुपया रखा गया है। राष्ट्र की सीमित आय को ध्यान में रख कर इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने की नीति खास तौर पर बरती जाएगी। इस कार्य के लिए एक सामाजिक सेवा बोर्ड बनाया जाएगा, जिस में ज्यादातर अनुभवी गैर-सरकारी लोग रहेंगे। यह कोशिश की जाएगी कि अलग-अलग क्षेत्रों में सेवा कार्य करने वाली संस्थाओं में आपसी तालमेल पैदा किया जाए। सामाजिक सेवा सम्बन्धी कार्यों के लिए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का विशेष प्रबन्ध किया जायगा। इस उद्देश्य से अनुसन्धान करने और सामाजिक कानून बनाने की व्यवस्था भी की जाएगी। यह प्रयत्न होगा कि जिन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के अपने लोग काम कर रहे हों, उन्हें प्रधानता दी जाए। स्त्रियों और बच्चों की उन्नति पर खास ज़ोर दिया जाएगा।

बच्चों के सम्बन्ध में इन बातों का ध्यान रखा जाएगा : उन्हें अच्छा भोजन मिले, कमज़ोर बच्चों की विशेष देख-भाल की जाए, बच्चों तथा माताओं की देखभाल करने वाले केन्द्र खोले जायें, उनके लिए खेल-कूद की जगहें, पुस्तकालय आदि बनाए जायें तथा अपाहिज और अनाथ बच्चों का पालन किया जाए।

इसी क्षेत्र में नौजवानों की उन्नति, परिवारों को उचित सलाह, अपाहिजों की सेवा, सामाजिक कुरीतियों का निवारण तथा अपराध की प्रवृत्ति का निवारण करने वाली संस्थाओं को यथेष्ट सहायता दी जाएगी।

सामाजिक सेवा सम्बन्धी संस्थाओं से यह आशा की जाएगी कि वे स्वावलम्बी तथा सेवा-परायण हों, उनके कार्यकर्ता स्थानीय हों, उनके आर्थिक कार्यक्रम में सहयोग की नीति बरती जाए तथा सामूहिक योजनाओं को पूरा करने में राज्य की सहायता कम से कम ली जाए।

पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति के लिये योजना में २९ करोड़ रुपया रखा गया है, जिसमें से ९ करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार व्यय करेगी। इन जातियों में ये लोग शामिल हैं:—अनुसूचित कबीले जिनकी संख्या १ करोड़ ८० लाख है, (२) अनुसूचित जातियां जिनकी संख्या ५ करोड़ है, और (३) अन्य पिछड़ी हुई जातियां जिनकी संख्या का अनुमान ५ करोड़ के लगभग किया गया है।

अनुसूचित जातियों के लिये राज्यों की सरकारों के कितने ही प्रोग्राम हैं। छुआछूत हटा ही दी गई है। अनुसूचित कबीलों के विकास के सम्बन्ध में इस योजना में विशेष ध्यान दिया गया है। उनके योग्य व्यवसायों और खेती के विकास, उनके लिए स्कूल तथा दवाखाने और नई सड़कों का प्रबन्ध किया जाएगा।

अगस्त १९४७ के बाद क़रीब ५० लाख व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में आए। १९५१ की जनगणना के अनुसार २६ लाख व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आ चुके हैं। इस तरह भारत में शरणार्थियों की जन-संख्या ७५ लाख है। पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दू और सिक्ख ६७ लाख एकड़ ज़मीन छोड़कर आए और इधर से जो मुसलमान पाकिस्तान गए वे ४७ लाख एकड़ ज़मीन छोड़कर गए। यह ज़मीन ठीक-ठीक हिसाब से शरणार्थियों को बांट दी गई।

शहरी शरणार्थियों के लिए भारत सरकार अब तक १,५,०००० मकान बना चुकी है और उन पर मार्च १९५२ तक ३८ करोड़ रुपया खर्च आया है। अगले दो वर्षों में २१ करोड़ रुपयों का व्यय करके ५०,००० नए मकान बनेंगे। अभी तक १५ लाख शरणार्थियों के लिए मकानों का प्रबन्ध हो चुका है। शरणार्थियों को काम-धन्धों पर लगाने की भी भरसक कोशिश हो रही है। उनकी शिक्षा के लिए भी विशेष प्रबन्ध किया गया है।

शरणार्थियों को ५,००० रुपए तक कर्ज़ भी दिया जाता है । अभी तक पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए १,५८,००० व्यक्ति और पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए ४४,००० व्यक्ति सरकार से कर्ज़ ले चुके हैं । अगले दो वर्षों में २६,५०० परिवारों को कर्ज़ दिया जाएगा । व्यापार-व्यवसाय के लिए भी अभी तक ६६२१ व्यक्तियों को ४ करोड़ १७ लाख रुपया कर्ज़ दिया गया है । अगले दो वर्षों में ५ करोड़ रुपया और भी कर्ज़ दिया जाएगा । हरिजन शरणार्थियों के बारे में सरकार ने विशेष ध्यान रखा है ।

अगले दो वर्षों में शरणार्थियों के लिए क्रमशः २७ करोड़ ८१ लाख तथा २६ करोड़ १४ लाख रुपया व्यय किया जाएगा । इसके अलावा अगर हालात आजकल की तरह रहे तो पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों पर ११ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च होगा । इसी तरह शरणार्थियों को मुआवज़ा देने की योजनाओं पर भी विचार हो रहा है । पंचवर्षीय योजना में शरणार्थियों को फिर से बसाने के सवाल को अन्य महत्त्वपूर्ण बातों के समान ही महत्ता दी गई है ।

सब समर्थ व्यक्तियों को रोज़गार देने की समस्या हरेक देश के सामने है । दूसरे कम विकसित देशों के समान हमारे देश में बेरोज़गारी के कारण हैं भूमि, पूंजी और अन्य आवश्यक साधनों की कमी । यह ज़रूरी है कि हम अधिक से अधिक लोगों को उपजाऊ कामों पर लगायें ताकि हमारे देश के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा हो सके ।

पिछले दिनों बेरोज़गारी में और भी अधिक बढ़ती हुई है और यह बेरोज़गारी उन लोगों में है जो या तो क्लर्की का काम कर सकते हैं या जिन्होंने किसी उद्योग-धन्धे की ट्रेनिंग नहीं ली है । बेरोज़गारी बढ़ने के मुख्य कारण हैं : देश की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, पहले के देहाती घरेलू उद्योग-धन्धों का नाश, कृषि से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का अधूरा विकास तथा बँटवारे के बाद देश की आबादी का एक स्थान से दूसरे स्थान को आना-जाना ।

देहाती बेरोज़गारी को दूर करने के लिए सिंचाई के साधनों की बढ़ती, नई खेती योग्य भूमि तैयार करना, ग्रामीण व्यवसायों का फिर से विकास आदि कार्य किये जायेंगे । देहाती उद्योगों के विकास के लिए १५ करोड़ रुपया

खर्च किया जायेगा। सहकारी खेती का विस्तार तथा फालतू दिनों में किसानों से निर्माण के कार्य कराने के साधन भी बरते जायेंगे। शहरी आबादी को रोज़ी-रोज़गार दिलाने के लिए छोटे और बड़े व्यवसायों का विकास किया जायगा।

योजना के लिए रोज़ी-रोज़गार में बढ़ती इस प्रकार होने की आशा है:—

		रोज़ी-रोज़गार में अधिक बढ़ती
१.	छोटे और बड़े व्यवसाय	४ लाख प्रति वर्ष
२.	सिंचाई और बिजली के बड़े प्रोग्राम	७॥ लाख प्रति वर्ष
३.	खेतीबाड़ी :—	
	नई सिंचाई से	१४ लाख प्रति वर्ष
	तालाबों की मरम्मत से	१॥ लाख प्रति वर्ष
	नई भूमि से	७॥ लाख प्रति वर्ष
४.	मकान बनाने का काम	१ लाख प्रति वर्ष
५.	सड़क बनाने का काम	२ लाख प्रति वर्ष
६.	घरेलू उद्योग-धन्धे	२० लाख प्रतिवर्ष तथा ३६ लाख को स्थायी काम मिल सकेगा।
७.	स्थानीय कार्यों से	यह बहुत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन नतीजे का अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता।

पढ़े-लिखे लोगों में से बेरोज़गारी दूर करने के लिए उन्हें विभिन्न धन्धों की विशेष ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। इस सम्बन्ध में उनके विचारों को बदलने और उन्हें खुद काम करने की आदत डलवाई जायेगी। यह कोशिश की जायेगी कि वे अपने लिए ऐसे छोटे धन्धों का चुनाव कर लें, जिनके सम्बन्ध में ट्रेनिंग पाकर वे खुद उनको चालू कर सकें। ये धन्धे ऐसे होंगे जिनके लिए

५०० रुपये से लेकर ५,००० रुपये तक की पूंजी की जरूरत होगी। उन्हें सरकार की ओर से उधार देने का भी प्रयत्न किया जायेगा। इसी उद्देश्य के व्यापारिक क्षेत्रों का भी विकास किया जायेगा, जहाँ व्यापार व्यवसाय के लिए सभी तरह की सुविधायें प्राप्त रहेंगी ताकि पढ़े-लिखे लोग केवल नौकरी पर ही निर्भर न रहें।

*

यूनाइटेड प्रेस, दिल्ली ।

मूल्य ।=)